

कार्यालय-प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक- १०३ /12-1 :देहरादून: दिनांक: 5/9/सितम्बर, 2024.

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (के०),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून।

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड़ (स्पर) के कि०मी०-0.000 से कि०मी० 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण के निर्माण हेतु 19.8345 है० वन भूमि का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तान्तरण। (Online Proposal No. FP/UK/ROAD/146663/2021)

सन्दर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-08बी/यूसी.पी/06/66/2023/एफ०सी० दिनांक 05/03/2024।

महोदय,

कृपया भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें भारत सरकार द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था, अधिरोपित आपत्तियों की सूचना/आख्या वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्रांक 599/12-1 दिनांक 02.09.2024 (प्रति सलंगन) के द्वारा विन्दुवार इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है। विन्दुवार सूचना निम्नानुसार प्रेषित की जा रही है :-

S.	Observations of Regional Office	Compliances
1.	The entire Uttarakhand state is counted as hilly area. So, as per rules the proposed diversion area is more than 5.00 ha and Cost-Benefit analysis is required.	CF has been information that a copy of Cost benefit analysis attached herewith as Annexure-1 and same has been uploaded at serial no. G of Part-I.
2.	The documentary evidence for existing road was constructed prior to 1980 shall be submitted.	CF has been information that as per the notification Under Section 3(1) of the U.P. Roadside Land Control, Act, 1945 (Act No. X of 1945), Public Works Department Notification dated 24 th February 1953. The existing road was constructed prior 1980. A copy of the above notification is attached as Annexure-2 . Although, this road is existing prior to 1980, still the black top is included in the area of diversion.
3.	The proposed area is about 500 m away from Rajaji Tiger Reserve, so chainage wise mitigation measures with map is required.	CF has been information that the boundary of Rajaji Tiger Reserve is at the centre of the Ganga River. The nearest point of the project road from the boundary of Rajaji Tiger River is the existing junction of NH-7 (Old NH-58) and Bhaniyawala-Rishikesh Road (Spur of NH-7) at Rishikesh. This is the design Chainage 20.600 of our project highway. From T-Junction to Natraj Chowk (about 2 km in length) is fully habitat. The last 820 m of existing road is 2-lane in which we are not doing any widening due to buildings on both sides abutting the ROW. We have excluded this 820 m length of road from our project. Now the nearest point of the project is 1317 m from Rajaji Tiger Reserve boundary. The following safeguards have been provided in the project from ecological/wildlife considerations: Underpasses: One Major Bridge (280 m) plus 60 m opening for crossing of Elephants and other species near Chainage km 5.700 - 6.200 (between Airport and Ranipokhari village). Four numbers of Elephant Passes aggregate length = 3060 m in the Forest area between Ranipokhari & Natraj Chowk is also provided. Box Culverts 7 Numbers of size 5 m x 3 m to facilitate the movement of large ants, such as tigers and leopards, and other wildlife (jackals, leopard cats, porcupine, wild boars, sambar and chital) besides functioning as cross drainage structure.

		<p>Hume pipes of 1200 mm diameter – 10 numbers to facilitate the movement of reptiles, amphibians, and other smaller fauna.</p> <p>Green Hedge: A hedge of 2 m height and 1 m width is proposed between Ch 10.140 and Ch 18.030 by the side of road on both sides to guide / channelize movement of small animals at dedicated points.</p> <p>Fencing in Forest Area: Chain Link Fencing is proposed at ROW in the forest area to prevent animals from entering the project highway at other vulnerable locations.</p> <p>Noise/Light Barrier: Sound and Light barriers are proposed on outer side of the elephant passes (forest area).</p> <p>Signages: Adequate signages like, Elephant Crossing, Drive Slow, Wild Life, etc., and road markings shall be provided in the Forest area for safety of wild life and road users.</p> <p>A strip plan showing chainage wise mitigation measures (structures proposed for crossing of wild animals) is attached as uploaded at S.No-67 in part-I (Annexure-3)</p> <p>The mitigation measures were worked out through World Wide Fund for Nature (WWF) on the directions of the state forest department, Uttarakhand. The suggestions regarding elephant passes and other mitigation measures have been incorporated in the proposal. In this connection NHA letter number-NHAI/PIU-DDN/Rishikesh-Bhaniyawala (Forest)/2021/2763 dated 18.07.2022 has been uploaded in part 01 at S.No-69. It is also mentioned that joint site visit was conducted by the Chief wildlife warden Uttarakhand with NHA & WWF officials dated 07-07-2022.</p>
4.	As per the Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Rules 2023, CA require on Non Forest Land. So, revised CA area with CA scheme, KML file, etc as per Para 2.3 of said rules, are required.	<p>CF has been information that CA Land has been identified by the DM, Dehradun in the village Chhamroli nearly 25.4000 Ha, village Dwara nearly 15.8790 Ha and village Makdeti nearly 14.6350 Ha land in the Non-Forest area. The same land has been transferred to Forest Department, Uttarakhand vide their order No. 206/12A-09 (2023-2026) DLRC dated 13.06.2024.</p> <p>Total Non-forest land identified for CA is 55.914 Ha and the same is proposed to be utilized for CA of Bhaniyawala - Rishikesh project. Out of 55.914 Ha of land only 40.00 Ha land was found suitable for compensatory afforestation as per site verification</p> <p>Based on the kml file received from DFO, Mussoorie, the DSS analysis report, Toposheet map, Geo-referenced polygon map with coordinates of CA land have been prepared. CA land suitability certificate and CA estimates has been uploaded in Part 02 S.No-13 Additional Information (Hard copy also attached Annexure-4)</p>
5.	The Site Inspection Report (SIR) of DFO is not containing proposal details. So, revised SIR is require in attached format.	<p>CF has been information that the Site Inspection Report (SIR) has been uploaded in Part- 02.</p> <p>Hard Copy also attached in Annexure-5.</p>

अतः अनुरोध है कि उपरोक्त के आलोक में विषयांकित प्रकरण पर वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 (यथासंशोधित नियम, 2023) के अन्तर्गत यथोचित कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक:- यथोपरि।

भवदीय

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

संख्या :- 903 /12-1 (दे०दू०) दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

(आर०के० मिश्र)

प्रमुख वन संरक्षक
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण।

कार्यालय-वन संरक्षक शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक:- 599 / 12-1 दिनांक - 02, 2024।

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग रां0-7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड़ (स्पर) के कि०मी०-0.000 से कि०मी० 20.600 तक मौजूदा राड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़िकरण के निर्माण हेतु 19.8345 है० वन भूमि का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तान्तरण।
प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/146663/2021

संदर्भ:- भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून की पत्र संख्या-08बी/यू, सी.पी/06/66/2023/एफ०सी० दिनांक 05/03/2024 एवं आपका पत्रांक-402/12-1, दिनांक-13.08.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग द्वारा अपने कार्यालय पत्रांक-1018/12-1 दिनांक-30/08/2024 से भारत सरकार द्वारा लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर वांछित सूचना निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रेषित की गई है:-

S.	Observations of Regional Office	Compliances
1.	The entire Uttarakhand state is counted as hilly area. So, as per rules the proposed diversion area is more than 5.00 ha and Cost-Benefit analysis is required.	A copy of Cost benefit analysis attached herewith as Annexure-1 and same has been uploaded at serial no. G of Part-1.
2.	The documentary evidence for existing road was constructed prior to 1980 shall be submitted.	As per the notification Under Section 3(1) of the U.P. Roadside Land Control, Act, 1945 (Act No. X of 1945), Public Works Department Notification dated 24 th February 1953. The existing road was constructed prior 1980. A copy of the above notification is attached as Annexure-2. Although, this road is existing prior to 1980, still the black top is included in the area of diversion.
3.	The proposed area is about 500 m away from Rajaji Tiger Reserve, so chainage wise mitigation measures with map is required.	The boundary of Rajaji Tiger Reserve is at the centre of the Ganga River. The nearest point of the project road from the boundary of Rajaji Tiger River is the existing junction of NH-7 (Old NH-58) and Bhaniyawala-Rishikesh Road (Spur of NH-7) at Rishikesh. This is the design Chainage 20.600 of our project highway. From T-Junction to Natraj Chowk (about 2 km in length) is fully habitat. The last 820 m of existing road is 2-lane in which we are not doing any widening due to buildings on both sides abutting the ROW. We have excluded this 820 m length of road from our project. Now the nearest point of the project is 1317 m from Rajaji Tiger Reserve boundary. The following safeguards have been provided in the project from ecological/ wildlife considerations: Underpasses: One Major Bridge (280 m) plus 60 m opening for crossing of Elephants and other species near Chainage km 5.700 - 6.200 (between Airport and Ranipokhari village). Four numbers of Elephant Passes aggregate length = 3060 m in the Forest area between Ranipokhari & Natraj Chowk is also provided. Box Culverts 7 Numbers of size 5 m x 3 m to facilitate the movement of large cats, such as tigers and leopards, and other wildlife (jackals, leopard cats, porcupine, wild boars, sambar and chital) besides functioning as cross drainage structure. Hume pipes of 1200 mm diameter - 10 numbers to facilitate the movement of reptiles, amphibians, and other smaller fauna.

	<p>Green Hedge: A hedge of 2 m height and 1 m width is proposed between Ch 10.140 and Ch 18.030 by the side of road on both sides to guide / channelize movement of small animals at dedicated points.</p> <p>Fencing in Forest Area: Chain Link Fencing is proposed at ROW in the forest area to prevent animals from entering the project highway at other vulnerable locations.</p> <p>Noise/Light Barrier: Sound and Light barriers are proposed on outer side of the elephant passes (forest area).</p> <p>Signages: Adequate signages like, Elephant Crossing, Drive Slow, Wild Life, etc., and road markings shall be provided in the Forest area for safety of wild life and road users. A strip plan showing chainage wise mitigation measures (structures proposed for crossing of wild animals) is attached as uploaded at S.No-67 in part-I (Annexure-3) The mitigation measures were worked out through World Wide Fund for Nature (WWF) on the directions of the state forest department, Uttarakhand. The suggestions regarding elephant passes and other mitigation measures have been incorporated in the proposal. In this connection NHAI letter number- NHAI/PIU-DDN/Rishikesh-Bhaniyawala (Forest)/2021/2763 dated 18.07.2022 has been uploaded in part 01 at S.No-69. It is also mentioned that joint site visit was conducted by the Cheif wildlife warden Uttarakhand with NHAI & WWF officials dated 07-07-2022.</p>
<p>4. As per the Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Rules 2023, CA require on Non Forest Land. So, revised CA area with CA scheme, KML file, etc as per Para 2.3 of said rules, are required.</p>	<p>CA Land has been identified by the DM, Dehradun in the village Chhamroli nearly 25.4000 Ha, village Dwara nearly 15.8790 Ha and village Makdeti nearly 14.6350 Ha land in the Non-Forest area. The same land has been transferred to Forest Department, Uttarakhand vide their order No. 206/12A-09 (2023-2026) DLRC dated 13.06.2024. Total Non-forest land identified for CA is 55.914 Ha and the same is proposed to be utilized for CA of Bhaniyawala - Rishikesh project. Out of 55.914 Ha of land only 40.00 Ha land was found suitable for compensatory afforestation as per site verification Based on the kml file received from DFO, Mussoorie, the DSS analysis report, Toposheet map, Geo-referenced polygon map with coordinates of CA land have been prepared. CA land suitability certificate and CA estimates has been uploaded in Part 02 S.No-13 Additional Information (Hard copy also attached Annexure-4)</p>
<p>5. The Site Inspection Report (SIR) of DFO is not containing proposal details. So, revised SIR is require in attached format.</p>	<p>The Site Inspection Report (SIR) has been uploaded in Part- 02. Hard Copy also attached in Annexure-5.</p>

अतः प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित की जा रही है कि प्रस्ताव की स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रेत्तर कार्यवाही करने पर विचार करना चाहें।
संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,
(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून

पत्रांक:- 599 /12-1 तददिनांकित।

प्रतिलिपि:- प्रभागीय वनाधिकारी देहरादून वन प्रभाग को उनके उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

(राजीव धीमान)

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून



कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।
पत्रांक : 10/8 /12-1 देहरादून, दिनांक 30 अगस्त, 2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
देहरादून।

विषय:- उत्तराखण्ड राज्य के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं०-7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड़ (स्पर) के कि०मी०-0.000 से कि०मी० 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के निर्माण हेतु 19.8345 हे० वन भूमि का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को हस्तान्तरण। प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/146663/2021

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून के पत्र संख्या-8B/UCP/06/66/2023/FC, dated 05-03-2024 एवं प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी के पत्रांक-402/12-1, दिनांक 13.08.2024

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रकरण में भारत सरकार द्वारा अपने पत्रांक-सं०8वी/यू.सी.पी/06/66/2023/एफ०सी० दिनांक 05/03/2024 के द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर बिन्दुवार सूचना निम्न प्रकार प्रेषित की जा रही है:-

Sl. No.	Observations of Regional Office	Compliances
1.	The entire Uttarakhand state is counted as hilly area. So, as per rules the proposed diversion area is more than 5.00 ha and Cost-Benefit analysis is required.	A copy of Cost benefit analysis attached herewith as Annexure-1 . Cost Benefit Analysis has been uploaded at serial no. G in Part-I.
2.	The documentary evidence for existing road was constructed prior to 1980 shall be submitted.	As per the notification Under Section 3(1) of the U.P. Roadside Land Control, Act, 1945 (Act No. X of 1945), Public Works Department Notification dated 24 th February 1953. The existing road was constructed prior 1980. A copy of the above notification is attached as Annexure-2 . Although, this road is existing prior to 1980, still the black top is included in the area of diversion.
3.	The proposed area is about 500 m away from Rajaji Tiger Reserve, so chainage wise mitigation measures with map is required.	The boundary of Rajaji Tiger Reserve is at the centre of the Ganga River. The nearest point of the project road from the boundary of Rajaji Tiger River is the existing junction of NH-7 (Old NH-58) and Bhanjyawala-Rishikesh Road (Spur of NH-7) at Rishikesh. This is the design Chainage 20.600 of our project highway. From T-Junction to Natraj Chowk (about 2 km in length) is fully habitat. The last 820 m of existing road is 2-lane in which we are not doing any widening due to buildings on both sides abutting the ROW. We have excluded this 820 m length of road from our project. Now the nearest point of the project is 1317 m from Rajaji Tiger Reserve boundary. The following safeguards have been provided in the project from ecological/ wildlife considerations: Underpasses: One Major Bridge (280 m) plus 60 m opening for crossing of Elephants and other species near Chainage km 5.700 - 6.200 (between Airport and Ranipokhari village). Four numbers of Elephant Passes aggregate length = 3060 m in the Forest area between Ranipokhari & Natraj Chowk is also provided. Box Culverts 7 Numbers of size 5 m x 3 m to facilitate the movement of large cats, such as tigers and leopards, and other wildlife (jackals, leopard cats, porcupine, wild boars, sambar and chital) besides

	<p>functioning as cross drainage structure. Hume pipes of 1200 mm diameter – 10 numbers to facilitate the movement of reptiles, amphibians, and other smaller fauna.</p> <p>Green Hedge: A hedge of 2 m height and 1 m width is proposed between Ch 10.140 and Ch 18.030 by the side of road on both sides to guide / channelize movement of small animals at dedicated points.</p> <p>Fencing in Forest Area: Chain Link Fencing is proposed at ROW in the forest area to prevent animals from entering the project highway at other vulnerable locations.</p> <p>Noise/Light Barrier: Sound and Light barriers are proposed on outer side of the elephant passes (forest area).</p> <p>Signages: Adequate signages like, Elephant Crossing, Drive Slow, Wild Life, etc., and road markings shall be provided in the Forest area for safety of wild life and road users.</p> <p>A strip plan showing chainage wise mitigation measures (structures proposed for crossing of wild animals) is attached as Annexure-3</p> <p>The mitigation measures were worked out through World Wide Fund for Nature (WWF) on the directions of the state forest department, Uttarakhand. The suggestions regarding elephant passes and other mitigation measures have been incorporated in the proposal. In this connection our letter No. NHAI/PIU-DDN/Rishikesh-Bhaniyawala (Forest)/2021/2763 dated 18.07.2022 (copy attached) may please be referred. It is also mentioned that joint site visit was conducted by the wildlife warden Uttarakhand with NHAI & WWF officials.</p>
<p>4. As per the Van (Sanrakshan evam Samvardhan) Rules 2023, CA require on Non Forest Land. So, revised CA area with CA scheme, KML file, etc as per Para 2.3 of said rules, are required.</p>	<p>CA Land has been identified by the DM, Dehradun in the village Chhamroli nearly 25.4000 Ha, village Dwara nearly 15.8790 Ha and village Makdetti nearly 14.6350 Ha land in the Non-Forest area. The same land has been transferred to Forest Department, Uttarakhand vide their order No. 206/12A-09 (2023-2026) DLRC dated 13.06.2024.</p> <p>Total Non-forest land identified for CA is 55.914 Ha and the same is proposed to be utilized for CA of Bhaniyawala - Rishikesh project. Out of 55.914 Ha of land only 40.00 Ha land was found suitable for compensatory afforestation as per site verification by the concerned Forest officials.</p> <p>Based on the kml file received from DFO, Mussoorie, the DSS analysis report, Toposheet map, Geo-referenced polygon map with coordinates of CA land have been prepared. CA land suitability certificate and CA estimates has also been prepared by the DFO, Mussoorie for area 40 Ha and the same are attached herewith.</p>
<p>5. The Site Inspection Report (SIR) of DFO is not containing proposal details. So, revised SIR is require in attached format.</p>	<p>The site Inspection Report (SIR) of DFO is enclosed.</p>

संलग्नक: यथोपरि।

भवदीय,



प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।



क्रमांक-

/12-1

व्यक्तिगत।

प्रतिनिधि निम्नलिखित को सुव्यवस्था एवं व्यवस्थापक कार्यवाही हेतु भेजिए-

1. प्रस्ताव एवं संशोधन/संशोधन प्रतिक्रियाएं, इन संशोधन प्रतिक्रियाओं पर विचार करवाते हुए, जलसंधारण विभाग, देहरादून को उनके संबंधित कार्य हेतु भेजें।
2. भारतीय राष्ट्रीय जलसंधारण प्रतिक्रियाएं, प्रतिक्रियाएं, जलसंधारण विभाग-व्यवस्थापक विभाग, जलसंधारण-1.1, जल संशोधन विभाग, देहरादून को उनके संबंधित कार्य हेतु भेजें।

व्यवस्थापक कार्यवाही

देहरादून जल विभाग, देहरादून।

COST BENEFIT ANALYSIS FOR DIVERSION OF FOREST LAND

Name of Proposal- " Up-gradation & 4-laning of Bhuniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand."

Nature of Proposal: Diversion of 19.8345 Ha. of Reserve Forest Land of Shivalik Forest Division under FCA, 1980 for Up-gradation & 4-laning of Bhuniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 Section.

Total Length of the Project road in/along forest area = 9.170 km

Total No. of District through which proposed project road alignment traverse – 01, Dehradun

Total forest area (RF) proposed for diversion = 19.8345 Ha.

Purpose: The Cost Benefit Analysis is being undertaken for proposed diversion of Forest Land for development of 4-lane Greenfield road for above said project.

Cost Benefit Analysis as per MoEF&CC Guideline for Forest Land Diversion – August 2017

Table -A: Cases under Which a Cost-benefit analysis for forest diversion are required

Sl.No.	Nature of Proposal	Applicable / not applicable	Remarks
1	All categories of proposal involving forest land upto 20 hectares in plains and upto 5 hectare in hills	Not applicable	These proposals may be considered on a case to case basis and value judgement.
2	Proposal for defence installation purpose and oil prospecting (prospecting only)	Not applicable	In view of national priority accorded to these sectors, the proposals would be critically assessed to help ascertain that the utmost minimum forest land is diverted for non-forest use.
3	Habitation, establishment of industrial units, tourist lodge complex and other building construction.	Not applicable	These activities being detrimental to protection and conservation of proposals would be rarely entertained.

(Signature)

(Signature)
 परियोजना निदेशक / Project Director
 भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 पी०आर०टी०एच०-कमन्स बिल्डिंग, देहली

4	All other proposal involving forestland more than 20 hectare in plains and more than 5 hectares in hills including roads, transmission lines, minor, medium and major irrigation projects, hydro projects, mining activity, railway line, location specific installations like micro-wave stations, auto repeater centres, TV towers etc.	Applicable	These are cases where a cost benefit analysis is necessary to determine when diverting the forest land to non-forest use in the overall public interest.
---	---	------------	--

Since the proposal is for diversion of forest area measuring more than 20 hectare in plains area and more than 5 hectare in hills for road project, cost benefit analysis report is applicable.

Table -B : Estimation of cost of forest diversion

SL	Parameters	Given Guideline	Evaluation
1	Ecosystem services losses due to proposed forest diversion	<p>Economic value of loss of eco-system services due to diversion of forests shall be the net present value (NPV) of the forest land being diverted as prescribed by Central Government (MoEF& CC).</p> <p>Note: In case of National parks the NPV shall be ten (10) times the normal NPV and in case Wildlife sanctuary the NPV shall be five (5) times the normal NPV or otherwise prescribed by the ministry or any other competent authority.</p> <p>Note-1: Net Present Value (NPV) of environment and ecosystem services loss:- The concept of Net Present Value of the forest land diverted is a scientific method of calculating the environmental cost and other losses caused</p>	<p>Forest land Proposed for diversion is falls under the Eco-Class I (Dense Forest). Since the reserve forest land is of Eco class-III (Tropical Dry Deciduous) Forests having density 0.8 (Dense Forest), therefore Per hectare NPV Rate as per MoEF& CC circular No. 5-3/2011-FC (Vol-I) dated 6th January 2022 is considered Rs. 15, 95, 790/- Per ha.</p> <p>So NPV for 19.8345 hectare forest land will be = Rs. 15,95,790 x 19.8345 hectare = Rs. 3,16,51,697 or Rs. 316.52 lakhs.</p>

Handwritten signature/initials

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग विभाग, नई दिल्ली)
Ministry of Road Transport & Highways
बी.आर.टी.ए. - नई दिल्ली, दिल्ली

SL	Parameters	Given Guideline	Evaluation
		due to diversion of forest land for non-forestry purposes. The NPV represents the net value of various ecosystem services and other environmental services in monetary terms which the forest would have provided if the forest would not have been diverted.	
2	Loss of animal husbandry productivity, including loss of fodder.	To be quantified and expressed in monetary terms or 10% of NPV applicable whichever is maximum.	Loss of animal husbandry due to proposed diversion is very moderate and calculated below; Gross loss @ 5 ton/Ha./year, @ Rs. 100/- per ton. Therefore, loss of fodder as estimated for 19.8345 hectare will be $19.8345 \times 5 \times 100 = \text{Rs.} 9917.25/\text{yr.} \times 50 \text{ years} = \text{Rs.} 4.95,863/\text{-}$ or Rs.4.96 lakhs. Further considering 10% of NPV it will be = Rs. 316.52 lakh (NPV) x0.1 = Rs.31.65 lakh So considered amount (maximum one) is Rs. 31.65 lakh.
3	Cost of human resettlement	To be quantified and expressed in monetary terms on actual terms as per approved R&R plan.	Nil. as no human resettlement is required.
4	Loss of public facilities and administrative infrastructure (Roads, building, schools, dispensaries, electric lines, railway, etc.) on forest land, which would require forest land if these facilities were diverted due to the project.	To be quantified and expressed in monetary terms on actual cost basis at the time of diversion	No loss of public infrastructure like Roads, hospital etc. are investigated. However, there will be some utility shifting like, electricity pole, telephone line, OFC cable etc. from proposed ROW located in forest land. The likely cost of these utility shifting is estimated Rs. 50 lakhs
5	Possession value of forest land diverted	30% of environmental cost (NPV) due to loss of forest or circle rate of adjoining area in the district should be added as a cost component as possession value of forestland whichever is maximum. Note 2:- Possession value of forest land diverted: - The	Possession Value of forest land will be (considering 30% of NPV) = $0.3 \times \text{Rs.} 316.52 = \text{Rs.} 94.95 \text{ lakh.}$ Average per hectare land rate along the project highway in district Dehradun is Rs. 600 lakh per hectare of non-commercial area (as per Circle rate 2020). It is to be noted that along the project road section there is agricultural land.

SL	Parameters	Given Guideline	Evaluation
		forest land diverted for the project such as irrigation, hydropower, railways, roads, wind and transmission lines and mining etc are unlikely to be returned and remains in possession of the user agencies. Therefore 30% of the net present value (NPV) of forest land diverted or market rate of adjoining area in the district should be added as a cost component as "possession value of forest land" in addition to the environmental cost due to loss of forests.	So, possession value of forest land (as per average circle rate) = 19.8345 hectare x 600 lakh = 111900.70 lakh So considered amount (maximum one) is Rs. 11900.70 lakh.
6	Cost of suffering to oustees	The social cost of rehabilitation of oustees (in addition to the cost likely to be incurred in providing residence, occupation and social services as per R&R plan) be worked out as 1.5 times of what oustees should have earned in two years had he not been shifted.	Nil, no resettlement & Rehabilitation is identified or required in forest land which is proposed to be diverted. Also, the community residing along the project road is not dependent on forest or forest produce. There will not be any losses on this account as diversion of the forest land to this project will not affect any house or structure in protected/reserved forest area.
7	Habitat fragmentation Cost	While the relationship between fragmentation and forest goods and services is complex, for the sake of simplicity the cost due to fragmentation has been pegged at 50 % of NPV applicable as a thumb rule.	Habitat fragmentation cost is 50% of NPV that is Rs. 316.52 x 0.5 = Rs. 158.26 lakh.
8	Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost Sbh	The actual cost of compensatory afforestation and soil & moisture conservation and its maintenance in future at present discounted value	CA cost per hectare is considered Rs. 4.07 lakh per hectare for estimation purpose. It may be updated as per actual CA estimate prepared and provided by Forest Department. So, CA cost = 19.8345 hectare x 2 x Rs. 4.07 lakh = Rs. 161.45 lakh.

Table - C - Existing guidelines for estimating benefits of forest diversion in CMA

No	Parameter	Clear Guidelines	Evaluation
1	Increase in productivity attributable to the specific project	To be quantified & expressed in monetary terms providing double counting	<p>The proposed project for which diversion of forest land is sought is for widening of existing road. The project road will improve accessibility to the region. This will help in both economic & social development in the region.</p> <p>The project will enable overall accessibility in the region by which people of the region will be directly benefited. This will increase industrial/commercial activities in region and the same will directly generate maximum employment opportunities in those areas and boosting up the economy of the region and state.</p> <p>Again, directly the project will have the potential for temporary employment generation for 200 local people for 3 years generating 6000 man-days during construction period.</p> <p>(It also does a much & it would a 1000 worker - 10000 Man-days)</p> <p>This is upgradation of the existing highway. Road will be overall development of the project area including capital city. This will be source of transportation of agricultural produce, easy access to education, health, market etc.</p> <p>Project road is to be developed in 2 lane road in parallel manner, widened from 4.5m to 7.5m and other minor widening works.</p>
2	Benefit to economy due to specific project	The governmental expenditure towards it including cost due to the activities attributed to the specific project	<p>Government benefit in terms of increase in trade, tourism, mining in various regions and infrastructure cost. Better connectivity will increase in accessibility and saving of travel time.</p> <p>Government road connectivity helps in better transportation and transportation of government's activities. It will provide fast and economical transport of goods.</p>

Director, Forest Management, Government of India
 Ministry of Forests, Government of India
 New Delhi, India

SL	Parameter	Given Guideline	Evaluation
			<p>After completion, the local people and industries situated in the area will be greatly benefited. The widening of project road will provide safe, fast, economical and environment friendly transportation to the State which in term will accelerate the rate of growth in this area.</p> <p>After completion of the Bhaniyawala - Rishikesh Section. User agency will impose the Toll on the said stretch and benefits to economy due to specific project has been quantified as follows.</p> <p>Road length (Km) = 17.20 Structure (Km) = 3.4 x 10 times = 34.00 km Total Project length = 51.20 Km Toll Collection according to existing Toll Plaza at Lachhiwala = 103 Lakhs per year Road has been designed for 15 years therefore total toll collection will be : $15 \times 103 \times 51.20 = 79104$ Lakhs</p> <p>In addition to that there are several other benefits that may accrue due to saving in fuel, reduction in carbon emission and man animal conflict.</p>
3	No of population benefited due to specific project	As per the Detailed project report	<p>The proposed road section in Uttarakhand for Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in Section in the State of Uttarakhand district Dehradun.</p> <p>While overall the populations of Uttarakhand State (100.86 Lakhs) will benefit from the project. Specifically, the projected population of district, Dehradun (16.98 Lakhs) through which the alignment passes will benefit largely in addition to lakhs of neighbour district commuters as well as long distance travellers and fright. (Source: Census 2011).</p>
4	Economic benefits due to of direct and indirect employment due to the project.	As per the detailed project report.	<p>Direct employment to 200 people for 2-year during construction period (accordingly 26 Man-days in month x 24-month x 200 worker = 124800 Mandays) and substantial indirect employment as a result of development of infrastructure, and tourism industries will also provide</p>

SL	Parameter	Given Guideline	Evaluation
			direct benefit to small scale industrial units in the area.
5	Economic benefit due to Compensatory afforestation	Benefit from such compensatory afforestation accruing over next 50 years monetised and discounted to the present value should be included as benefits of Compensatory afforestation. *for benefit of CA the guideline of the Ministry for NPV estimation may be consulted.	In lieu of total trees to be removed from Proposed PROW in Reserve/protected forest land along the project road, it is proposed to undertake at compensatory plantation of least twice of the affected/diverted forest area as per Forest (Conservation) Act. So, the net productivity will increase. The compensatory afforestation will be taken up in about $19.8345 \times 2 = 39.6690$ hectare of Degraded Forest land which is at least two times of the area proposed to be diverted. The compensatory afforestation will be done on 39.6690 hectare of degraded forest land, which is down the line would be having a density of minimum 0.7. The ecological value for a 50 years period for the density of 1.0 is INR 126.74 lakhs per hectare (As per Forest Conservation Act 1980). By considering minimum 0.7 density the ecological gain for this project would be Rs. 3519.35 lakh.

Summary of Cost Benefit Analysis for the Project.

Sl. No.	Total cost / Loss (in Lakhs)	Benefit (in Lakhs)
1	Ecosystem services losses Rs. 316.52 Lakhs	Ecological gain from compensatory afforestation on 39.6690 (at least) hectare on degraded land would be Rs. 3519.35 lakh
2	Loss of animal husbandry productivity, including loss of fodder = Rs. 31.65 Lakhs	Approx. 124800 Man days will be generated for unskilled/semi skilled worker in terms of Salary and wages @ Rs. 500/day (average) = Rs. 624.00 lakh (# Minimum wages in Uttarakhand is Rs. 10520/month (or Rs. 350/day, but for considering actual practical wages including lodging the average cost per day for semiskilled/labourer is approx. Rs. 500 per day.) Basic living amenities including alternative fuel (LPG, Solar Cooker etc) will be supplied to labours/workers. Construction period - 2 years

		Number of labours at peak time – 200 Approx. 20 % labour assume to be local Per head cost of fuel - Rs. 20/ per day for rest 160 labours Total cost = Rs. 20x160 labours x 730 days = Rs. 23,36,000/- or Rs. 23.36 lakhs
3	Loss of public facilities = 50 lakhs	After completion of the Bhaniyawala - Rishikesh Road Project User agency will impose the Toll on the Said stretch and benefits to economy due to specific project has been quantified as follows. Road length (Km) = 17.20 Structure (Km) = 3.4 x 10 times = 34.00 km Total Project length = 51.20 Km Toll Collection according to existing Toll Plaza at Lachhiwala = 103 Lakhs per year Road has been designed for 15 years therefore total toll collection will be : 15x103x51.20 = 79104 Lakhs
4	Possession Value of Forest land diverted = 11900.70 lakh	
5	Habitat fragmentation cost = 158.25 lakh	
6	Compensatory afforestation and soil & moisture conservation cost = 161.45 lakhs	
	Total Cost/Loss = Rs. 316.52 Lakhs + Rs. 31.65 Lakhs + Rs. 50 Lakhs + Rs. 11900.70 Lakhs + Rs. 158.25 Lakhs + 161.45 Lakhs = 12618.57 Lakhs	Total gain/benefit from project = Rs. 3519.35 Lakhs + Rs. 624.00 Lakhs + Rs. 23.36 Lakhs + 79104 = 83270.71 Lakhs.

Cost Benefit Ratio = Total Benefit/Total Cost = 83270.71 / 12618.57 = 6.59

The Benefit Cost ratio is >1 therefore the project is found viable based on given/above described criteria.

Date: 01.04.2024

Place: Dehradun

(Signature)

(Signature)
Project Director

NHAI, PIU, Vasant Vihar, Dehradun

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highway
पी०आइ०यू०-वसन्त विहार, देहरादून

Annexure-2

NOTIFICATION UNDER SECTION 20) OF THE U. P. ROADSIDE LAND CONTROL ACT, 1945 (ACT NO. X OF 1945)

Public Works Department

NOTIFICATION

No. 3424-0/

[XXIII - 1970/1947

51-57
1111
 65
 6
 3191

Dated Lucknow, November 17/1965

With reference to this Department notification no. 5390/XXIII-1970/1947 dated Feb. 24, 1953. issued under sub-section (2) of section 3 of the U. P. Roadside Land Control Act, 1945 (U. P. Act No. X of 1945), the Government, for consideration the report made under sub-section (4) of the said Section, is pleased, under sub-section (1) thereof, to declare the land described in the schedule hereto annexed to be controlled areas for the purposes of the said Act.

SCHEDULE

Description of the lands declared to be controlled areas

The lands lying on either side of and within boundary lines drawn parallel to the centre line of the road described below at a distance of two hundred and twenty feet from it

Serial number	Description	Approximate length of the road	Name of estate included in whole or part in the area declared to be controlled areas	Taluk	District
1	2	3	4	5	6
1.	Dehra Dun-Rishikesh Road. Starts from Mile 147, Fr. 3 and Ft. 170 of D.R.M. Road at Dehra Dun and ends at Rishikesh town mile 26, Fur. 1 and Ft. 285.	25 miles, 7 Fur. 115 feet.	1. Dehra Dun 2. Dharampur 3. Bhahnagar. 4. Ajabpur Kalan 5. Dauripur. 6. Nathampur 7. Masri (Masri). 8. Mohkampur Khurd 9. Hiamwala. 10. Harrawala. 11. Kunalwa. 12. Lachhiwala Range 13. Lachhiwala. 14. Hiamwala Khian 15. Hiamwala Khurd 16. Poiwala. 17. Dhanlawala. 18. Kanawala. 19. Jolly Grant. 20. Rani Pokhari Grant. 21. Rainapur. 22. Market Harri. 23. Rishikesh.	Eastern Doon	Dehra Dun

(D.D. APPROVAL) Secretary.

Secretary, Bagel
 Project Director
 National Highways Authority of India
 Ministry of Road Transport & Highways



No. 1422 (I) of 1952

Copy of the foregoing forwarded to the Collector/Inspector, Government of Madhya Pradesh for necessary action, in continuation of Government endorsement dated 11/2/52, No. 5034/VI/11-05/51-52, dated 1.8.52.

By order,
(D. D. Agarwal)
Assistant Secretary

Copy to L.A.O. published

See L.A.O. copy

L.A.O. M/10/12

Copy of the foregoing forwarded to the Commissioner, Division _____, for information, in continuation of Government endorsement dated _____

By order,
Assistant Secretary.

No. _____ of 1952

Copy of the foregoing forwarded to the Chief Engineer, Uttar Pradesh, Buildings and Roads Branch, Lucknow, for information in continuation of Government endorsement dated _____

Copy to L.A.O. M/10/12

By order,

Assistant Secretary.

परिचालन निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राजमार्ग महामंडळ
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन महामंडळ, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
मंत्रालय-परिवहन महामंडळ, सरकार



No. 3424 (I) OF DATE

Copy of the foregoing forwarded to the Collector/Deputy Commissioner of Dehra Dun for necessary action, in continuation of Government order no. _____ dated _____

No. 6934/VIII-66/51-54, dated 1.8.53.

By order,

[Signature]
(D. D. Agarwal)
Assistant Secretary.

Letter to L.A.O., Lucknow.

No. _____ OF DATE

Copy of the foregoing forwarded to the Commissioner, _____ Division for information, in continuation of Government order no. _____

dated _____

By order,

Assistant Secretary.

See - C.A.C. & conf. C.I. & L.A.O.

No. _____ OF DATE

Copy of the foregoing forwarded to the Chief Engineer, Uttar Pradesh, Buildings and Roads Branch, Lucknow, for information in continuation of Government order no. _____, dated _____

By order,

Assistant Secretary.

Copy for L.A.O. Lucknow

[Signature]
General Director
National Highways Authority of India
(Formerly Director, Public Works Department, Government of India)
Ministry of Road Transport & Highways
New Delhi

GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH,
PUBLIC WORKS (D) DEPARTMENT.

No. 2121 LC/XIII-PWD-1930/47.
Dated Lucknow, July 4, 1964.

समितिद्वारा.

Under the heading 'Muzra or revenue estate included whole or part in the area declared to be controlled areas of the schedule appended to Notification No. 309 C/XIII-1930/47, dated February 21, 1953, published on page 251 of Part I of the U.P. Gazette dated February 28, 1953, and Notification No. 3424 C/XIII-1930/1947, dated December 4, 1953, published on page 1360 of Part I of the U.P. Gazette dated December 12, 1953, against item no. 10, for मोवाला, read 'दासवाला'.

VIII-65
(57-8)

सूची

See: To C.C. for necessary amendment.

BY order,

(R.K. Bhatnagar)
Officer on Special Duty.

No. 2121 (1) LC/XIII-PWD-1930/47 of date.

Copy forwarded to Mukhya Abhiyanta, Sarvajanic Nirman Vibhag, U.P. Lucknow, with reference to his U.O. No. 43/17/350 LA, dated June 6, 1964, for information.

DM
27/7/64

BY order,

(R.K. Bhatnagar)
Officer on Special Duty.

No. 2121 (2) LC/XIII-PWD-1930/47 of date.

Copy forwarded for information to the :-

- 1. collector, Dehra Dun.
- 2. Commissioner, Meerut.

27/7/64

See kept in file

BY order,
(R.K. Bhatnagar)
Officer on Special Duty.

R.N. Rastogi

DM
27/7/64

Additional Director
National Highways Authority of India
Ministry of Road Transport & Highways

From

The Collector,
Dehra Dun.

To

The Asstt. Secretary to
Government of Uttar Pradesh,
Public Works Department (A)
Lucknow.

No. 6934/VIII-65/51-54

Dated: 1-8 July, 1953

Subject: Controlling of land along Dehra Dun-Delhi
Sh Road in the Dehra Dun District.

Sir,

With reference to Notification No. 369C/WXIII-
A-1930/47 dated Feb. 21, 1953 issued under sub-section
(2) of section 3 of the U.P. Roadside Land Control
Act, 1945 (Act no. X of 1945), published in U.P. Gazette on
28th Feb. 1953, I have the honour to state that
no objection has been received. I therefore,
request you, kindly to issue declaration U/S 3(1)
of the U.P. Roadside Land Control Act.

Yours faithfully,

sc

No. 6934/VIII-65/51-54

for Collector, D. Dun. L.A.O
of date

Copy for information forwarded to:-

1. The Commissioner Meerut Division, Meerut with
reference to G.E.No. 369(2)C dated 21.2.53.
2. The Provincial Land Acquisition Officer, U.P.
Post War Schemes, Lucknow with reference to G.E.
No. 369(4)C dated 21.2.53.

sc

for Collector, D. Dun.

परियोजना निदेशक/Project Director
राष्ट्रीय राष्ट्रीय नगरपालिका प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(एन.एच. प्राधिकरण अखिल भारतीय मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
एन.एच. प्राधिकरण निदेशक, देहरादून

No. Memo/VIII-65/51-54

Dated: 1st June, 1953.

Tahsildar, Dehra Dun.

Re: Notification of U.P. Roadside Land Control Act
at Dehra Dun Rishikesh Road.

The Dehra Dun Rishikesh Road, details mentioned
in the attached copies of notification, has been
notified U/S 3(2) of the U.P. Roadside Land Control Act
1945.

26 copies of notification in Hindi Version,
are sent herewith. Out of which one copy may be posted
on the Tahsil Notice Board and the other 25 copies
may be sent to S.As concerned to notify in the villages
concerned, mentioned in the Schedule of the said
notification, through Lekhpals concerned. The Lekhpals
should be directed to obtain signatures of some
residents of the villages, to the effect that the
contents of the said notification have been notified.

The rest copies bearing all the compliance reports
i.e. of N.Nazir for posting on N.B. and S.As for
notifying in the villages; along with this order may
please be returned to this office within 10 days.

Encl : 26 copies

(Girish Chandra)
Land Acquisition Officer,
Dehra Dun.

2286
SKE/NN to comply

Tahsildar
Dehra Dun
2/6/53

Subscribed by
Compliance
3/7/53
sup. to Govt

Approved Director
National Highways Authority of India
Ministry of Road Transport & Highways

(20)

उत्तर प्रदेश गवट, २८ फरवरी, १९५३

राज्यीय सड़कों के किनारे की भूमि के नियंत्रण का ऐक्ट, १९४५ के अधीन विनियमित

.....

सांघीयनिक निर्माण विभाग

२२ फरवरी, १९५३

सं० ३६६.भी, २३.ए.१६३.सी.५० - सड़कों के किनारे की भूमि के नियंत्रण का ऐक्ट, संयुक्त प्रान्त, १९४५ से० ऐक्ट सं० १०, १९४५ से० की धारा ३ की उपधारा १२ के अधीन गवर्नर महोदय ने लीजाधार की सूचना के लिये विनियमित प्रकाशित की है कि प्रान्तीय सरकार का यह विचार है कि एत विनियमित के साथ नयी किये हुए स्तूपी में बताई गयी भूमि को उक्त ऐक्ट के प्रयोजनों के लिये नियंत्रित क्षेत्र घोषित किया जाय।

२. कोई व्यक्ति, जिसका उक्त भूमि में कोई हित हो, कलेक्टर, देहरादून द्वारा एत विनियमित के प्रकाशित करने की अंतिम तारीख से तीस दिन के भीतर किसी एम्प एस घोषणा के सम्बन्ध में अपना अपनी भूमि या उसके किसी भाग की स्तूपी में उल्लिखित सीमाओं के भीतर एत प्रकार सम्मिलित किये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति कर सकता है।

स्तूपी

उक्त भूमि का वर्तन जिसको उक्त ऐक्ट की धारा ३ की उपधारा १२ के अधीन नियंत्रित क्षेत्र घोषित किये जाने का विचार है।

भूमि को निम्नलिखित सड़कों के दोनों ओर उन समानान्तर रेखाओं के मध्य में स्थित है, जो सड़क की मध्यवर्ती रेखा के दोनों ओर दो सौ दोस फीट की दूरी पर खींची गयी है।

स्तूपी पत्र सं० २ पर:

म.ल.,

Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
मंत्रालय, नया दिल्ली

क्र. सं.	पट्टा की लम्बाई (मीटर)	पट्टा की चौड़ाई (मीटर)	पट्टा का प्रकार	पट्टा का नाम	जिला
1	100	10	1	कैलाशपुर	कैलाशपुर
2	25	10	2	भरनापुर	"
3	150	10	3	साधनापुर	"
4	100	10	4	भरनापुर खर्वा	"
5	100	10	5	भरनापुर	"
6	100	10	6	नाथनापुर	"
7	100	10	7	भरनापुर	"
8	100	10	8	भरनापुर	"
9	100	10	9	भरनापुर	"
10	100	10	10	भरनापुर	"
11	100	10	11	भरनापुर	"
12	100	10	12	भरनापुर	"
13	100	10	13	भरनापुर	"
14	100	10	14	भरनापुर	"
15	100	10	15	भरनापुर	"
16	100	10	16	भरनापुर	"
17	100	10	17	भरनापुर	"
18	100	10	18	भरनापुर	"
19	100	10	19	भरनापुर	"
20	100	10	20	भरनापुर	"
21	100	10	21	भरनापुर	"
22	100	10	22	भरनापुर	"
23	100	10	23	भरनापुर	"

कैलाशपुर अधीन पट्टा
 कैलाशपुर में 100 नंबर
 समूह पट्टा के ताल
 150, 100, 100 तथा
 100 फीट के प्रारम्भ
 चौक अधीन टाउन में
 मील 25, प्लॉट 1 तथा
 फीट 25 पर समाप्त
 होती है।

2150

2150

2150

2150

2150

2150

2150

प्रमाणित

Project Director
 National Highways Authority of India
 (मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 भोपाल-461001

12/2/21

गिरिजा कन्वेंटर

कैलाशपुर 30.11.21

महका

Land Acquisition Officer,
 Jabalpur.

No.Memo/VIII-05/51-54

Dated: 1st June, 1953.

Tahsildar, Dohra Dun.

Re: Notification of U.P.Roadside Land Control Act on Dohra Dun Rishikosh Road.

The Dohra Dun Rishikosh Road, details mentioned in the attached copies of notification, has been notified U/S 3(2) of the U.P.Roadside Land Control Act 1945.

26 copies of notification in Hindi Version, are sent herewith. Out of which one copy may be posted on the Tahsil Notice Board and the other 23 copies may be sent to S.Ks concerned to notify in the villages concerned, mentioned in the Schedule of the said notification, through Lekhpals concerned. The Lekhpals should be directed to obtain signatures of some residents of the villages, to the effect that the contents of the said notification have been notified.

The rest copies bearing all the compliance reports i.e. of N.Nazir for posting on N.B. and S.Ks for notifying in the villages; along with this order may please be returned to this office within 10 days.

Encl. 26 copies


(Girish Chandra)
Land Acquisition Officer,
Dohra Dun.

Reminded
18/6/53

Project Director
National Highways Authority of India
Ministry of Road Transport & Highways

FOUR LANING OF BHANIYAWALA-RISHIKESH SECTION OF NEW NH-7 (SPUR) (OLD SH-24)
 IN THE STATE OF UTTARAKHAND (DESIGN CH.-0.780 TO CH. 19.780)
 STRIP PLAN SHOWING CHAINAGE WISE MITIGATION MEASURES


Annexure-3



CONTD....SHEET-2

Director
 National Highway Authority of India
 Ministry of Road Transport & Highways
 New Delhi-110019

Man | कायालय पन सरसक शिवालिक वृत्त |



LEGEND

	ROAD
	BRIDGE
	BOX CULVERT
	HPC 1.2 Dia
	Elephant Underpass
	FOREST

B
 Additional Project Director
 National Highway Authority of India
 Ministry of Road Transport & Highways
 New Delhi

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यालय इकाई - वसन्त विहार। Project Implementation Unit-Vasant Vihar

पता: प्लॉट नं. 5 एवं 6, वसन्त विहार, देहरादून - 248006 House no. 1/1, Phase-I, Vasant Vihar, Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone: 0135 2260001 ई-मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Website: www.nhai.org



NHAI/PIU/VV/2023/Bhaniyawala-Rishikesh/Forest/ 7206

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून वन प्रभाग
जनपद - देहरादून (उत्तराखण्ड)



विषय: उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (एनएच) के मानिगावाला जौलीघाट-ऋषिकेश किमी 0.000 से किमी 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण विषयक - ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/146663/2021 के संबंध में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराने के संबंध में।

- संदर्भ
1. आपका कार्यालय पत्रांक 7375/12-1 दिनांक 27.06.2024
 2. इस कार्यालय का पत्रांक 6882 दिनांक 28.06.2024
 3. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी कार्यालय पत्रांक 433/12-1 दिनांक 03.08.2024
 4. प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी कार्यालय पत्रांक 581/12-1 दिनांक 21.08.2024

महोदय,


उपरोक्त विषयक अपने कार्यालय पत्रांक 7375 दिनांक 27.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मानिगावाला-ऋषिकेश परियोजना हेतु परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के संबंध में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु प्रस्तावित भूमि की डी0एस0एस0 मानचित्र, कं0एम0एल0 फाईल, क्षतिपूर्क वनीकरण का स्थल प्राक्कलन सहित एवं उपयुक्तता प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर सहित तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. उपरोक्त के क्रम में अद्यतन करना है कि प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी द्वारा उनके कार्यालय पत्रांक 433 दिनांक 03.08.2024 एवं 581 दिनांक 21.08.2024 के माध्यम से क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रस्तावित 40.00 हे० भूमि एवं उसके 10 वर्षों के रख-रखाव की योजना, टोपोग्रीड मैप, जियोरेफरेंस मैप, उपयुक्तता प्रमाण पत्र, डी0एस0एस0 रिपोर्ट एवं चयनित क्षेत्रों की कं0एम0एल0 फाईल हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित की गयी।

3. उपरोक्त के अतिरिक्त संज्ञान में लाना है कि उक्त ग्रामों में से द्वारा ग्राम में वृक्षारोपण हेतु चयनित 15.0000 हे० भूमि का दिनांक 08.08.2024 को वन विभाग की टीम के साथ संयुक्त स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसके दौरान उक्त वर्णित क्षेत्र में बरसात के कारण कंटीली लैन्डाना झाड़ियों एवं अन्य घास उगी पायी गयी, जिस कारण डी0एस0एस0 रिपोर्ट में संदर्भित क्षेत्र Moderate Dense आ रहा है। जिसके संदर्भ में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी द्वारा उपयुक्तता प्रमाण पत्र के माध्यम से प्रमाणित किया गया है कि उक्त क्षेत्र में कंटीली लैन्डाना झाड़ियों आदि के उन्मूलन के पश्चात क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र उपयुक्त है।

अतः उपरोक्त के क्रम में प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी द्वारा प्रेषित क्षतिपूर्क वनीकरण एवं उसके 10 वर्षों के रख-रखाव की योजना, टोपोग्रीड मैप, जियोरेफरेंस मैप, उपयुक्तता प्रमाण पत्र, डी0एस0एस0 रिपोर्ट एवं चयनित क्षेत्रों की कं0एम0एल0 फाईल हस्ताक्षर सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं साथ ही संदर्भित अभिलेख परिवेश पोर्टल पर अपलोड कराये जा चुके हैं।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।


28/08

कार्यालय वन संरक्षक शिवालिक वृत्त
पत्रावली सं०.....121.....
रजिस्टर सं०.....211.....
दिनांक 28/08/2024

भवदीय


(पंकज कुमार मोदी)
परियोजना निदेशक
प०क०ई०-वसन्त विहार (देहरादून)

प्रतिलिपि:

1. जिलाधिकारी, देहरादून - को सूचनार्थ प्रेषित।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, उत्तराखण्ड, देहरादून - को सूचनार्थ प्रेषित।
3. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून - को सूचनार्थ प्रेषित।
4. टीम लीडर, गै० यॉग्या इन्जी० कं० प्रा० लि० को इस आशय से प्रेषित कि संबंधित वन विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: dfo_mussoorie@rediffmail.com

Phone/Fax-0135-2631765

पत्रांक- 581 / 12-1

मसूरी, दिनांक- 21 / 08 / 2024

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (नियंत्रण)
NHAI, PIU-Vasant Vihar (Dehradun)
द्वारा प्राप्त/Received by.....
सं०/नं०..... 13782
दिनांक/Date..... 21/8/2024

में,

परियोजना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
वसन्त विहार, देहरादून।

विषय :-

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण विषयक।
ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/146663/2021 सम्बन्ध में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-
महोदय,

इस कार्यालय का पत्रांक-433/12-1, दिनांक-03.08.2024

उपरोक्त विषयांकित प्रकरण में प्रतिपूरक वनीकरण हेतु जनपद देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत स्थावित भूमि 55 है० में से क्षतिपूरक हेतु उपयुक्त पायी गयी भूमि 40.00 की सूचना यथा उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं के०एम०एल० फाईल सन्दर्भित पत्र से आपको प्रेषित की गयी है।

उक्त के क्रम में उपरोक्त चयनित वृक्षारोपण स्थलों (ग्राम मकडेती-10 है०, ग्राम छमरोली- 15 है० व ग्राम द्वारा-15 है०) की प्रतिपूरक वनीकरण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव की योजना, टोपोशीट मैप, जियोरेफरेन्स मैप, उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं डी०एस०एस० रिपोर्ट समोहर हस्ताक्षरित कर संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अमित कंवर)

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या :/12-1, तद दिनांकित

प्रतिलिपि :-

- 1- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।
- 2- प्राभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून को उनके पत्र संख्या-7375/12-1, दिनांक- 17 जून 2024 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

कार्यालय उप वन संरक्षक, मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Email: office_mussorie@rediffmail.com

Phone/Fax-0135-2631765

फांक्र 433 / 12-1

मसूरी दिनांक 03 / 08 / 2024

सेवा में

परिचालना निदेशक,
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण,
वसन्त विहार, देहरादून।

उप. वन संरक्षक-वसन्त विहार, देहरादून (U.P. Forest Officer-Vasant Vihar (Dehradun))
RECEIVED BY: [Signature]
DATE: 13/8/24
TIME: 9/08/2024

विषय :-

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 (सर) के भनियावास्ता-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण विषयक।
ii- उत्तराखण्ड राज्य के रा०नं०-73 (झाड़वा के पास) को दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक निर्माण के सम्बन्ध में।
- ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्या- FP/UK/ROAD/146663/2021 एवं FP/UK/ROAD/140350/2021 के सम्बन्ध में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भ :-

कार्यालय जिलाधिकारी, देहरादून का आदेश संख्या- 206/12ए-09(2023-2026) डी.एल.आर.सी., दिनांक- 13 जून 2024 एवं इस कार्यालय का फांक्र-77/12-1, दिनांक-04.07.2024 एवं 239/12-1, दिनांक-23.07.2024।

संदर्भ :-

उपरोक्त विषयवस्तु प्रकरणों में जिलाधिकारी देहरादून के सन्दर्भित आदेश के द्वारा क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु वन विभाग उत्तराखण्ड को आवंटित/हस्तान्तरित की गयी है। प्रतिपूर्क बनीकरण हेतु जनपद देहरादून में मसूरी वन प्रभाग के कार्यक्षेत्रान्तर्गत प्रस्तावित भूमि का मौके पर स्थलीय निरीक्षण किया गया। रेंज अधिकारी, रामपुर रेंज व मसूरी रेंज द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार क्षतिपूर्क हेतु उपयुक्त पायी गयी भूमि की स्थिति निम्नवत है :-

क्र० नं०	तहसील	गांव का नाम	आवंटित भूमि का क्षेत्रफल (है०)	वृक्षारोपण हेतु उपयुक्त भूमि (है०)
1	नदर	मऊवैती	14.6350	10.00
2		छप्परोली	25.400	15.00
3		झारा	15.474	15.00
योग			55.509 है०	40.00 है०

उपरोक्तानुसार 40.00 है० भूमि जो मौके पर बनीकरण हेतु उपयुक्त पायी गयी, का उपयुक्तता प्रमाण पत्र एवं चयनित क्षेत्रों की के०एम०एल फाईल संलग्न कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार। (नूत्रल प्रतीति)

भवदीय,

(अमित कंवर)

उप वन संरक्षक

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

संख्या :/12-1, तद दिनांकित


प्रतिलिपि :- वन संरक्षक, यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून को सूचनार्थ प्रेषित।

उप वन संरक्षक
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी


उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम-I-उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण तथा II-उत्तराखण्ड राज्य के रा०रा०-73 (झांझरा के पास) को दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 7 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश. कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक चार लेन चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य।


प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप मसूरी रेंज के अधीन ग्राम छमरोली में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 25.400 हे० के फलस्वरूप 15.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जगह उपयुक्त पाई गई है।





(सुरेश सिंह नेगी)
वन बीट अधिकारी
सिल्ला प्रथम बीट



(मौ.जियाउल हक)
वन दरोगा
सिल्ला अनुभाग



(शिव प्रसाद गौरोला)
वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज



उत्तराखण्ड वन विभाग
मसूरी वन विभाग
मसूरी

परियोजना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के अनियावाला-जौलीघाट-कृषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने चौड़ीकरण योजना के अधीन 39.6690 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम- ~~हमरीली~~ सिविल में 15.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

जिला	प्रभाग	रेंज	तहसील	ग्राम	क्षेत्रफल (है० में)
देहरादून	मसूरी	मसूरी रेंज	सदर	हमरीली सिविल	15.00

वृक्षारोपण मॉडल एवं तकनीकी विवरण

की जाने वाली प्रजातियां :- जलवायु के अनुरूप स्थानीय स्वदेशी प्रजातियां

कार्यान्वयन एजेन्सी :- वन विभाग

समय :- प्रस्ताव में उच्च स्तर से विधिवत स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त।

रोपण की विधि पौधालय में उगाई गई पौध को पहले से खोदे गए गड्ढों में रोपित करना।

~~प्रतिहस्ताक्षरित~~
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन प्रभाग वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी


वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

रेयोजना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने चौड़ीकरण योजना के अधीन 39.6690 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम-~~दमरोही~~सिविल में 15.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

ABSTRACT COST INVOLVED

वर्ष	कार्य का विवरण	घनराशि (रु०में)
प्रथम वर्ष	अग्रिम मृदा कार्य	1914740.00
द्वितीय वर्ष	रोपण कार्य	799130.00
तृतीय वर्ष	प्रथम वर्षीय अनुरक्षण	407400.00
चतुर्थ वर्ष	द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण	301200.00
पंचम वर्ष	तृतीय वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
षष्ठम वर्ष	चतुर्थ वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
सप्तम वर्ष	पंचम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
अष्टम वर्ष	षष्ठम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
नवम वर्ष	सप्तम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
दसम वर्ष	अष्टम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
एकादश वर्ष	नवम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
द्वादश वर्ष	दशम वर्षीय अनुरक्षण	189700.00
योग		4940070.00
Say		4940000.00


 प्रतिहस्ताक्षरित
 उप प्रभागीय बनाधिकारी
 देहरादून मसूरी वन प्रभाग
 मसूरी


 प्रभागीय बनाधिकारी
 मसूरी वन प्रभाग
 मसूरी


 बम क्षेत्राधिकारी
 मसूरी रेंज
 मसूरी वन प्रभाग

परियोजना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (रफर) के बाला-जौलीग्रान्त-त्र्यधिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने चौड़ीकरण योजना के अधीन 39, 6690 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

स्थल का नाम- **हमरोपी** सिविल में 15.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव करना।

क्र०सं०	कार्य का विवरण	ल०	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
प्रथम वर्ष - अग्रिम मृदा कार्य						
1	वृक्षारोपण क्षेत्र का सर्वेक्षण, सीमांकन एवं उपग्रह मानचित्र तैयार करना		15.00	प्रति हे०	238.00	3570.00
2	क्षेत्र में झाड़ी कटान करना व नष्ट करना		15.00	प्रति हे०	2518.00	37770.00
3	दो वर्ष पौध की कीमत 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित (प्रथम वर्ष)		16500	प्रति पौध	21.64	357060.00
4	गड्ढों का संरक्षण एवं चिन्हीकरण (वृक्ष की कीमत सहित)		16500	प्रति गड्ढा	0.70	11550.00
5	गड्ढे खुदान (0.30cm x 0.30 cm x 0.45 cm)		16500	प्रति गड्ढा	13.00	214500.00
6	कन्दूर फरो का संरक्षण		1500	प्रति फर	1.37	2055.00
7	कन्दूर फरो का खुदान (अधिकतम 300 रनिंग मी० प्रति हे०)		1500	प्रति फर	132.00	198000.00
8	दीवाल बन्दी रनिंग मीटर - चौ०(0.60+0.45)/2 ऊ० 1.20 Mt.	1027	647.01	प्र०घ०मी०	742.00	480081.42
9	फेंसिंग कार्य करना- (प्रावकलन संलग्न)			र०मी०	900.00	386190.00
10	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरबाड़ कार्य (अवल्व प्र०मी०)		6162	प्रति बल्च	2.49	15343.38
11	मृदा एवं जल संरक्षण कार्य- (प्रावकलन संलग्न)		15.00	प्रति हे०	11500.00	172500.00
12	निरीक्षण बटिया		15.00	प्रति हे०	1261.00	18915.00
	अन्य प्रकीर्ण व्यय।		15.00	प्रति हे०	1152.00	17280.00
योग :- प्रथम वर्ष						1914814.80
या रू-						1914740.00
द्वितीय वर्ष - रोपण कार्य						
1	पौधों का रखरखाव 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति सहित (द्वितीय वर्ष)		16500	प्रति पौध	3.30	54450.00
2	पौध दुलान मय 10 प्रतिशत दुलान में क्षतिपूर्ति सहित बैग पौध, लदाई व उतराई सहित		16500	प्रति पौध	13.67	225555.00
3	कन्दूर फरो में व्रीज बोना / कटिंग लगाना (व्रीज एकत्रीकरण करना तथा कटिंग दुलान सहित)		1500	प्रति फर	10	15000.00
4	कंकड़-पत्थर छानकर गड्ढों का खाद / कीटनाशक मिलाकर भरण करना		16500	प्रति गड्ढा	2.35	38775.00
5	कन्दूर फरो में खाद मिलाकर नाली को भूतल से 20 सेमी० ऊपर उठाकर भरण कर दवाना तथा जमाना		1500	प्रति फर	10	15000.00
6	पौध रोपण करना अच्छी प्रकार दवाना, अच्छी प्रकार थावला बनाना व रोपण क्षेत्र के अन्दर दुलान सहित		16500	प्रति पौध	4.42	72930.00
7	गड्ढों में रासायनिक खाद (25 ग्रा० प्रति गड्ढा) / जैविकखाद / जीवामृत / कीटनाशक दवा डालना मूल्य सहित		16500	प्रति पौध	1.55	25575.00
8	निराई-गुडाई व मल्विंग होईंग प्रथम व द्वितीय एवं वर्मिकुलाइट, पैरालाइट, फार्मयार्ड, वर्मिकम्पोस्ट की कीमत		16500	प्रति पौध	10.81	178365.00
9	रखरखाव रोपण वर्ष में 9 माह एक श्रमिक कम से कम 10 है० क्षेत्र को आधार मानकर		9	प्रति माह	14826.00	133434.00
10	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरबाड़ के बाहर चारों ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
11	अन्य प्रकीर्ण व्यय, जैसे-श्रमिकों तथा सामग्री हेतु छप्पर निर्माण, रोपण क्षेत्र का रख रखाव, प्रचार-प्रसार, बोरी, सुतली, साईन बोर्ड व औजार क्रय / मरम्मत, डाक्यूमेंटेशन / फोटोग्राफी आदि।		15	प्रति हे०	1958	29370.00
योग द्वितीय वर्ष :-						800259.00
या रू-						799130.00

प्रतिहस्ताक्षरित
उप-प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

संयोजक वनाधिकारी
मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वनाधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

कार्य का विवरण		ल०	मात्रा	इकाई	दर	धनराशि
तृतीय वर्ष - अनुरक्षण प्रथम वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	निराई-गुड़ाई व मल्लिचग कार्य एवं वभिकुलाइट,पेरालाइट,फार्मयाड, वभिकम्पोस्ट की कीमत		16500	प्रति षोड	6.76	111540.00
3	क्षतिपूर्ति रोपण (Beating up)-क्षतिपूर्ति रोपण (10 प्रतिशत तक)					
i	षोड की कीमत		1650	प्रति षोड	30.89	50968.5
ii	षोड का दुलान		1650	प्रति षोड	13.67	22555.5
iii	गडडा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भरान एवं थावालाबन्दी कर रोपण करना		1650	प्रति षोड	19.77	32620.5
4	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425
ii	सुरक्षा घेरवाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380
योग प्रथम वर्षीय अनुरक्षण :-						407401.50
या रू-						407400.00
चतुर्थ वर्ष - अनुरक्षण द्वितीय वर्ष						
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष का रखरखाव 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	निराई-गुड़ाई व मल्लिचग कार्य		16500	प्रति षोड	6.76	111540.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरवाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग द्वितीय वर्षीय अनुरक्षण :-						301257.00
या रू-						301260.00
पंचम वर्ष - अनुरक्षण तृतीय वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु (1 श्रमिक कम से कम 10 हे० क्षेत्र को आधार मानकर)		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरवाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग तृतीय वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या रू-						189720.00
षष्ठम वर्ष - अनुरक्षण चतुर्थ वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरवाड के बाहर चारो ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग चतुर्थ वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या रू-						189717.00

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

मसूरी वन प्रभाग
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

कार्य का विवरण		ल०	मात्रा	इकाई	दर	घनराशि
सप्तम वर्ष - अनुरक्षण पंचम वर्ष						
	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
	अग्नि सुरक्षा कार्य					
	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरवाड के बाहर चारों ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग पंचम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या रु-						189700.00
अष्टम वर्ष - अनुरक्षण षष्ठम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	अग्नि सुरक्षा कार्य-रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरवाड के बाहर चारों ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई करना।		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग षष्ठम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या						189700.00
नवम वर्ष - अनुरक्षण सप्तम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरवाड के बाहर चारों ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग सप्तम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या						189700.00
दशम वर्ष - अनुरक्षण अष्टम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरवाड के बाहर चारों ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग अष्टम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या						189700.00
एकादश वर्ष - अनुरक्षण नवम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरवाड के बाहर चारों ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग अष्टम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या						189700.00
द्वादश वर्ष - अनुरक्षण दशम वर्ष						
1	अनुरक्षण 12 माह हेतु		12	प्रति माह	14826.00	177912.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य					
i	रोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास फूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना		15	प्रति हे०	495	7425.00
ii	सुरक्षा घेरवाड के बाहर चारों ओर 5 मी० चौड़ी पट्टी में आग से सुरक्षा हेतु सफाई		15	प्रति हे०	292	4380.00
योग अष्टम वर्षीय अनुरक्षण :-						189717.00
या						189700.00
कुल योग-						4940070.00
या रु-						4940000.00

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय वनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

वन क्षेत्राधिकारी
मसूरी रेंज
मसूरी वन प्रभाग

ग्रना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के
ला-जौलीग्रान्ट-त्र्यधिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने चौड़ीकरण योजना
के अधीन 39.6690 है० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूरक वनीकरण योजना

प्ल का नाम-दुमरोसी सिविल में 15.00 है० क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षों तक रखरखाव
करना।

भूमि एवं जल संरक्षण कार्यों का प्राक्कलन

S. N.	Discription	Nos	L	W	H/D	Qty.	Unit	Rate	Amount (Rs)	
आर०आर० ड्राई चैकडैम निर्माण कार्य-										
1	स्थल की सफाई करना एवं चिन्हीकरण कार्य	4 x 1	8.00	3.25		104.00	Sqm	38.00	3952.00	
2	आर०आर० ड्राई चैक डेम निर्माण हेतु बुनियाद खुदान करना	4 x 1	7.00	1.25	0.50	17.50	cum	325.00	5687.50	
3	आर०आर० ड्राई चैक डेम निर्माण हेतु पत्थरों की चिनाई करना									
	बुनियाद में	4 x 1	7.00	1.25	0.50	17.50	cum			
	सुपर स्ट्रक्चर प्रथम भाग में	4 x 1	7.60	$\frac{(1.0+0.75)}{2}$	1.20	33.74	cum			
	हेडवाल निर्माण	4 x 2	3.50	$\frac{(0.60+0.5)}{2}$	0.50	7.70	cum			
						Total	58.94	Sqm	1736.00	102319.84
									111959.34	
योग-										
2	गली प्लग निर्माण कार्य-									
1	गली प्लग निर्माण हेतु स्थल की सफाई करना	4 x 1	3.00	0.80		9.60	Sqm	38.00	365.00	
2	गली प्लग निर्माण हेतु बुनियाद खुदान कार्य	4 x 1	2.00	0.60	0.30	1.44	cum	325.00	468.00	
3	आर०आर० ड्राई पत्थरों की चिनाई कार्य-									
	बुनियाद में	4 x 1	2.00	0.60	0.30	1.44	cum			
	सुपर स्ट्रक्चर में	4 x 1	2.50	$\frac{(0.6+0.45)}{2}$	1.00	5.25	cum			
						Total	6.69	Sqm	1736.00	11613.84
									12446.84	
योग-										
चालखाल निर्माण कार्य-										
1	चाल-खाल निर्माण हेतु स्थल की सफाई करना	5 x 1	6.00	5.00		150.00	Sqm	38.00	5700.00	
2	चाल-खाल हेतु भूमि खुदान, कटान कार्य-									
	मिट्टी, पत्थर कटान कर स्थल समतलीकरण करना	5 x 1	5.00	4.00	$\frac{(0+0.9)}{2}$	32.50	cum			
	मिट्टी, पत्थर कटान कर गड्ढा खोदना	5 x 1	5.00	4.00	1.00	100.00	cum			
						Total	132.50	cum	325.00	43062.50
									48762.50	
									कुल योग-	173168.68
									या रू०-	172500.00

Rate Analysis for one cum masonry, Devalsari Range, Mussoorie Forest Division Cartage of Stones from 1 Km. distance

1	कोरे पत्थरों की दीवाल चिनाई कार्य मय पत्थरों की कीमत								859.00
2	100 मीटर के बाद 500 मीटर तक	95%	31	x	1	x	20		589.00
3	500 मीटर के बाद	87%	16	x	1	x	20		278.40
							Total		1726.40

अतिरिक्त अधिकारी
उप-प्रभोगीय वनाधिकारी
देहरादून मुसुरी वन प्रभाग
मुसुरी

अतिरिक्त अधिकारी
मुसुरी वन प्रभाग
मुसुरी

अतिरिक्त अधिकारी
मुसुरी वन प्रभाग
मुसुरी

परियोजना का नाम- उत्तराखण्ड राज्य के जंगल देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (एच) के
 अगवावाला-जौलीघाट-त्राधिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेने की डीकरण योजना
 के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

क्षतिपूर्क वनीकरण योजना

स्थल का नाम-हररोही सिविल में 16.00 हे० क्षतिपूर्क वृक्षारोपण कार्य की योजना एवं उनका 10 वर्षी तक रखरखाव
 करना।

पंरियम कार्य का प्राक्कलन

S. N.	Description	Nos	L	W	H/D	Qty.	Rate	Amount (₹)	
3	तारबाड कार्य करना- एंगल आयरन के साथ--					900 RM			
i	GI Barbed wire fencing with 2.10 m angle iron posts 50x50x5 mm placed every 3 meters center to center and provided with 3 horizontal and 2 diagonal interwoven wires. fixed with GI staples etc all complete.								
	Barbed wire fencing in 3 line	3	399	3.99	-	-		2700 RM	
	2 diagonal	2	399	3.25	-	-		1950 RM	
						Total		4650 RM	
	Barbed wire @ 9.38 Kg per 100 meter (PWD 50R (2022-23) PM0034)					435.00 Kg	21.00 Per	35316.00	
	2.10 m angle iron posts 50x50x5 mm (2.10 Mt. Pol, 3.94 kg. per meter.	301	1	2.10	-	-		2490.00 Kg	
							65.00 Per	161850.00	
	Add for GI staple binding wire, drilling holes etc @ 2 percent of the cost of material.							3943.32	
	Add cartage of wire and Iron Posts (mechanical and Head load)							5500.00	
	Total Item No. 1							206109.32	
ii	एंगल गाडने हेतु गड्ढा खुदाई कार्य करना	-	-	0.30	0.30	0.60	301 No	10.55 Per	3172.55
iii	गड्ढो में 1:4:8 सीमेंट कंक्रीट में एंगल आयरन प्रोट करना	301	1	0.30	0.30	0.60	16.25 Cum	4523.50 Per	75133.50
vi	पांच लड में कंटेदार तार खिचना (03 क्षतिक व 02 कासा) कम संख्या 1 के अनुसार						4650 RM	11.00 Per	51150.00
	Total							335571.38	
	Add GST @ 18% on Item No. 1 & 3	206109	+	75133.50	=		281242.82	50623.71	
	Total							386195.09	
	Or Say							386195.00	

प्रतिहस्ताक्षरित
 उप प्रभागीय सहायिका
 देहरादून मसुरी वन प्रभाग
 मसुरी


प्रभागीय सहायिका
 मसुरी वन प्रभाग
 मसुरी

वन सहायिका
 मसुरी वन प्रभाग
 मसुरी

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (स्पर) भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से 20.600 तक के चार चौकीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण छमरोली ग्राम के खसरा 283 में 15.0000 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित।

- 3 x




 (Project Director)
 National Highways Authority of India
 Ministry of Road Transport & Highways


(National Highways Authority of India)
 National Highways Authority of India
 Ministry of Road Transport & Highways

National Highways Authority of India
 Ministry of Road Transport & Highways

Google Earth
 30°23'21.70\"/>

मसूरी वन विभाग, मसूरी
 (देहरादून)

DSS Report





 Project Director
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन विभाग, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 ब्रिजमंडल, बंगलूरु



 Project Director
 National Highways Authority of India
 (सड़क परिवहन विभाग, भारत सरकार)
 Ministry of Road Transport & Highways
 ब्रिजमंडल, बंगलूरु

उप प्रभाग व्यवधिकारी
 (देहरादून)

MAP SHOWING SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND
Project Name :- Up-gradation & 4-laning of Bhanjyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttar-
Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021



CA Land Coordinates		
Sr.No.	Longitude	Latitude
1	78°10' 8.956" E	30°23' 6.916" N
2	78°10' 11.028" E	30°23' 17.472" N
3	78°10' 14.901" E	30°23' 24.978" N
4	78°10' 19.714" E	30°23' 21.028" N
5	78°10' 22.893" E	30°23' 18.514" N
6	78°10' 16.134" E	30°23' 14.835" N
7	78°10' 18.653" E	30°23' 11.091" N
8	78°10' 21.270" E	30°23' 8.676" N
9	78°10' 18.236" E	30°23' 4.487" N
10	78°10' 14.477" E	30°23' 2.396" N



PART OF SQ TOPOSHEET NO.: 531/3

Legend

- Project Director
- CA Land Coordinates
- Ministry of Road Transport & Highways

Handwritten signature and text: "अमलिका" and "R.O."

Handwritten signature and text: "अमलिका" and "R.O."

Handwritten signature and text: "अमलिका" and "R.O."

MAP SHOWING DIGITAL MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATES

Project Name :- Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.


Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021

78°9'35"E 78°10'0"E 78°10'25"E 78°10'50"E


Total CA Land Area - 40.00 Ha.

Proposed CA Land Area: 15.00 ha.

Village Chhamroli Khastra-No.283



Sr.No.	Longitude	Latitude
1	78°10' 18.956" E	30°23' 6.916" N
2	78°10' 11.028" E	30°23' 17.472" N
3	78°10' 14.901" E	30°23' 24.978" N
4	78°10' 19.714" E	30°23' 21.028" N
5	78°10' 22.893" E	30°23' 18.514" N
6	78°10' 16.134" E	30°23' 14.835" N
7	78°10' 10.653" E	30°23' 11.091" N
8	78°10' 21.270" E	30°23' 0.676" N
9	78°10' 18.236" E	30°23' 4.487" N
10	78°10' 14.477" E	30°23' 2.396" N




Legend

- CA Land Coordinate Point
- Proposed CA Land

उप प्रभागीय वृक्षधिकारी
(देहरादून)
गसरी तान एभाग मसरी

परियोजना निदेशक/Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(सड़क परिवहन प्राणी मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पुणे: ३१/१०/२०२१



(Signature)
१०/१०/२०२१

78°9'35"E

30°23'30"N

30°23'15"N

30°23'0"N

30°23'15"N

30°23'30"N


30°22'45"N

78°10'50"E

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम—I—उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला—जौलीग्रान्ट—ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण तथा II—उत्तराखण्ड राज्य के रा०रा०—73 (झाझरा के पास) को दिल्ली— देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या— 7 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक चार लेन चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप रायपुर रेंज के अधीन ग्राम मखड़ेती में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 14.6350 हे० के फलस्वरूप 10.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जगह उपयुक्त पाई गई है।


(सन्दीप सिंह)
वन बीट अधिकारी
राजपुर बीट


(मोहबंत सिंह चौहान)
वन दरोगा
राजपुर अनुभाग


(राकेश नेगी)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज




प्रमाणित किया जाता है
सन्दीप सिंह
वन बीट अधिकारी
राजपुर बीट

कलन बावत जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश
ती 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.6690 है० वन भूमि का गैर
बानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप 10.00 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य करना-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम- ग्राम मखड़ेती
 प्रस्तावित वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(है० भे)-10.00 है०
 रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या- 1000 पौध प्रति है०

रायपुर रेंज

मसूरी वन प्रभाग

वर्ष 2024-25.

क्र०	कार्य विवरण	ईकाई/सं०	मात्रा	ईकाई दर	घनराशि
1	सर्वे रसीमांकन	प्रति है०	10.00	238.00	2380.00
2	क्षेत्र की सफाई(लेन्टाना झाड़ी कटान आदि)	प्रति है०	10.00	6260.00	62600.00
3	अग्रिम दिवार बन्दी(फेन्सिंग) प्रति है० 94.50 घ०मी० औसत/तारवाड़	प्रति घ०मी० है०	10.00	64354.00	643540.00
4	कटूर फरो का संरेखण कार्य	प्रति फर	1000	1.37	1370.00
5	कटूर फर कार्य(प्रति है० 300 र.मी.) का खुदान	प्रति फर	1000	132.00	132000.00
6	गड़दों का संरेखण एवं चिन्हीकरण चूने की कीमत सहित	प्रति गड़दा	10000	0.70	7000.00
7	अग्रिम मृदा कार्य(0.30x0.30x0.45) गड़दा खुदान	प्रति गड़दा	10000	13.00	130000.00
8	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है०	10.00	1261.00	12610.00
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	10000	21.64	216400.00
10	अन्य व्यय जैसे यन्त्र सयन्त्र औजार तेज करना	प्रति है०	10.00	1152.00	11520.00
11	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरवाड़ कार्य तीन बल्ब प्र०मी०	प्रति सै० बल्ब	4500	1082.00	48690.00
12	जल एवं मृदा संरक्षण कार्य:- प्रति है०/सं०	सं०	88	L.S	1012000.00
योग प्रथम चरण-					2280110.00
द्वितीय वर्ष-					
1	गड़दा भ्रान्त कार्य(0.30x0.30x0.45)	प्रति गड़दा	10000	2.35	23500.00
2	कटूर फरो में वीज बुआई(प्रति है०)	प्रति फर	1000	10.00	10000.00
3	पौधों का रख रखाव(द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	10000	4.14	41400.00
4	पौध डुलान वाहन से 30.00 कि०मी० दूरी से	प्र०सै०पौ०	10000	357.50	35750.00
5	पौध डुलान सिरबोझ	प्र०सै०पौ०	10000	260.00	26000.00
6	पौध रोपण थावला बन्दी	प्रति पौध	10000	4.42	44200.00
7	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	10000	10.81	108100.00
8	खाद व दवा पर व्यय	प्रति पौध	10000	1.55	15500.00
9	देख रेख व रख रखाव रोपण वर्ष में 9 माह कम से कम 10 है०/-	प्रति माह 01 श्रमिक	9	9884.00	88956.00
10	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 5 मीटर की पट्टी साफ करना	प्रति है०	10.00	787.00	7870.00
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध डुलान हेतु टोकरी सुतली, बोरी आदि कय करना वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय करना वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डोवयूमैंट्स	प्रति है०	10.00	1958.00	19580.00
योग द्वितीय चरण-					420856.00
कुल योग प्रथम व द्वितीय चरण-					2700966.00

प्रतिहस्ताक्षरित
 उप प्रभागीय वनाधिकारी
 देहरादून मसूरी वन प्रभाग
 मसूरी

-तृतीय वर्ष-

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	गिराई गुड़ाई व मलचिंग कार्य एवं चर्मिकुलाइट, पैरालाइट, फार्मगार्ड, चर्मिकम्पोस्ट की कीमत	प्रति पौध	10000	6.76	67600.00
3	हातिपूरक रोपण बीटिंग अप				
i	पौध की कीमत	प्रति पौध	10000	30.89	308900.00
ii	पौध का दुलान	प्रति पौध	10000	13.67	136700.00
iii	गड़ड़ा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भ्रान एवं थावलाबन्दी कर रोपण करना	प्रति पौध	10000	19.77	197700.00
4	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग तृतीय चरण-	-		-	837378.00
-चतुर्थ वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
3	गिराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	10000	6.76	67600.00
	योग चतुर्थ चरण-	-		-	194078.00
-पंचम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग पंचम चरण-	-		-	126478.00
-छठा वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग छठा चरण-	-		-	126478.00
-साप्तम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग साप्तम चरण-	-		-	126478.00
-अष्टम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठा वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग अष्टम चरण-	-		-	126478.00
-नवम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त साप्तम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग नवम चरण-	-		-	126478.00
-दशम वर्ष-					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
	योग दशम चरण-	-		-	126478.00
				कुल योग-	4491290.00
				या-	4487910.00

प्राक्कलन तैयार कर महोदय की सेवा में प्रेषित।

Sw

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय पन्नाधिकारी
बेहशदून नर्सरी वन प्रभाग
नर्सरी

Sw
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
नर्सरी वन प्रभाग

Sw
(मोहबत सिंह चौहान)
वन दरोगा

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (एनएच) भनियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से 20.600 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण मखड़ेती ग्राम के खसरा 5क, 5इ, 21, 167घ, 168, 170ख, 182 / 4ख में 10.0000 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित।

Google Earth Pro
File Edit View Tools Help



DSS Report



(Handwritten signature)
 National Highways Authority of India
 Ministry of Road Transport & Highways


Project Director
 National Highways Authority of India
 Ministry of Road Transport & Highways

(Handwritten signature)
 National Highways Authority of India

उप प्रभागीय वनधिकारी (देहरादून)
 नमूरी वन प्रभाग, मसूरी

MAP SHOWING SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND

Project Name :: Up-gradation & 4-laning of Bhaniyapala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.00 to km 20.600 in the State of Uttarakhand.
 Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021



Total CA Land Area - 10.00 Ha.

Village - Makhdedeti
 Kharta No. - SK, 5 ANH, 21,167 GH,168,170 KII & 102/4 KH

Proposed CA Land Area: 10.00 ha.

PART OF SOI TOPOSHEET NO.: 531/3

Legend

- CA Afforestation Land (Project Area)
- National Highways Authority of India (NH-7)
- ▭ Ministry of Road Transport & Highways

Sl.No.	Longitude	Latitude
1	78° 5' 42.309" E	30° 24' 19.457" N
2	78° 5' 38.883" E	30° 24' 21.949" N
3	78° 5' 44.976" E	30° 24' 30.452" N
4	78° 5' 47.793" E	30° 24' 28.844" N
5	78° 5' 46.375" E	30° 24' 27.081" N
6	78° 5' 49.034" E	30° 24' 26.454" N
7	78° 5' 49.700" E	30° 24' 23.417" N
8	78° 5' 49.878" E	30° 24' 20.095" N
9	78° 5' 53.970" E	30° 24' 13.550" N
10	78° 5' 47.785" E	30° 24' 14.536" N
11	78° 5' 42.007" E	30° 24' 16.692" N
12	78° 5' 46.091" E	30° 24' 21.572" N
13	78° 5' 45.336" E	30° 24' 23.562" N

SCALE: 1:50000

78° 2' 39" E

78° 4' 30" E

78° 6' 21" E

78° 8' 12" E

78° 10' 3" E

78° 11' 54" E

30° 26' 40" N

30° 25' 0" N

30° 23' 20" N

30° 21' 40" N

30° 25' 0" N

30° 23' 20" N

30° 21' 40" N

78° 2' 39" E

78° 4' 30" E

78° 6' 21" E

78° 8' 12" E

78° 10' 3" E

78° 11' 54" E

MAP SHOWING DIGITAL MAP OF COMPENSATORY AFFORESTATION LAND WITH COORDINATES

Project Name :- Up-gradation & 4-laning of Bhandyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600 in the State of Uttarakhand

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021


78°5'30"E

78°6'30"E


78°6'30"E

Total CA Land
Area - 40.00 Ha.

Village - Makhidell
Khara No. - 516, 5 ANH, 21167 GH, 168, 170 KH & 102/4 KI



Sr.No.	Longitude	Latitude
1	78° 5' 42.309" E	30° 24' 19.457" N
2	78° 5' 38.883" E	30° 24' 21.949" N
3	78° 5' 44.976" E	30° 24' 30.452" N
4	78° 5' 47.793" E	30° 24' 28.844" N
5	78° 5' 46.375" E	30° 24' 27.081" N
6	78° 5' 49.034" E	30° 24' 26.454" N
7	78° 5' 49.700" E	30° 24' 23.417" N
8	78° 5' 49.878" E	30° 24' 20.095" N
9	78° 5' 53.970" E	30° 24' 13.550" N
10	78° 5' 47.755" E	30° 24' 14.536" N
11	78° 5' 42.007" E	30° 24' 16.692" N
12	78° 5' 46.091" E	30° 24' 21.572" N
13	78° 5' 45.336" E	30° 24' 23.562" N



Project Director
National Highway Authority of India
National Highway Transport & Highways
Ministry of Road Transport & Highways

वर्तमान प्रभाग, मसूरी
(देहरादून)

उप प्रभागीय वन अधिकारी
(देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

Legend

- CA Land Coordinate Point
- Proposed CA Land

78°5'30"E

78°5'30"E

78°6'30"E

78°6'30"E

N.0147.00

N.5147.00

N.0147.00

उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम—I—उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण तथा II—उत्तराखण्ड राज्य के रा०रा०-73 (झाझरा के पास) को दिल्ली- देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोडी सैक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीन फील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या- 7 (स्पर) के भानियावाला जौलीग्रान्ट, ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक चार लेन चौड़ीकरण/सुदृढीकरण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप रायपुर रेंज के अधीन ग्राम द्वारा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 15.474 हे० के फलस्वरूप क्रमशः 10.00 हे० एवं 5.00 हे० कुल 15.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जगह उपयुक्त पाई गई है।


(जसविन्दर कौर)
वन बीट अधिकारी
द्वारा बीट


(विरेंद्र दत्त जोशी)
उप वन क्षेत्राधिकारी
द्वारा अनुभाग


(रकेश नेगी)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज






प्रमाणित अधिकारी
रायपुर रेंज
द्वारा


क्षतिपूरक वनीकरण हेतु भूमि की उपलब्धता एवं उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

योजना का नाम—उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण कार्य।

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित योजना के अधीन 39.6690 हे० वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप रायपुर रेंज के अधीन ग्राम द्वारा में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु आवंटित भूमि 15.474 हे० के फलस्वरूप क्रमशः 10.00 हे० एवं 5.00 हे० कुल 15.00 हे० क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 08-08-2024 को किया गया। स्थलीय निरीक्षण के दौरान उक्त वर्णित क्षेत्र में बरसात के कारण कंटीली लैन्टाना झाड़ियां एवं अन्य घास उगी हुई है। जिस कारण DSS रिपोर्ट में क्षेत्र Moderate Dense आ रहा है। उक्त क्षेत्र में कंटीली लैन्टाना झाड़ियों आदि के उन्मूलन के पश्चात क्षतिपूरक वनीकरण हेतु प्रस्तावित क्षेत्र उपयुक्त है।


(जसविन्दर कौर)
वन बीट अधिकारी
द्वारा बीट


(विरेन्द्र दत्त जोशी)
उप वन क्षेत्राधिकारी
द्वारा अनुभाग


(राकेश नेगी)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज


swach


स्वच्छता अधिकारी
रायपुर रेंज
द्वारा

वकलन बावत जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के मानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश 0मी0 0.000 से कि0मी0 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.6690है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप 10.00 है0 क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य करना-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम- ग्राम द्वारा

प्रस्तावित वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(है0 में)-10.00है0

रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या- 1000 पौध प्रति है0

रायपुर रेंज

मसूरी वन प्रभाग

वर्ष 2024-25.

क्र0	कार्य विवरण	ईकाई/सं0	मात्रा	ईकाई दर	घनराशि
1	सर्वे सीमांकन	प्रति है0	10.00	238.00	2380.00
2	क्षेत्र की सफाई(लैन्टाना झाड़ी कटान आदि)	प्रति है0	10.00	6260.00	62600.00
3	अग्निम दिवार बन्दी(फेन्सिंग) प्रति है0 94.50 घ0मी0 औसत/तारबाड	प्रति घ0मी0 है0	10.00	64354.00	643540.00
4	कंटूर फरो का संरेखण कार्य	प्रति फर	1000	1.37	1370.00
5	कंटूर फर कार्य(प्रति है0 300 र.मी.) का खुदान	प्रति फर	1000	132.00	132000.00
6	गड्ढों का संरेखण एवं चिन्हीकरण चूने की कीमत सहित	प्रति गड्ढा	10000	0.70	7000.00
7	अग्निम मृदा कार्य(0.30x0.30x0.45) गड्ढा खुदान	प्रति गड्ढा	10000	13.00	130000.00
8	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है0	10.00	1261.00	12610.00
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	10000	21.64	216400.00
10	अन्य व्यय जैसे यन्त्र सयन्त्र औजार तेज करना	प्रति है0	10.00	1152.00	11520.00
11	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरवाड कार्य तीन बल्ब प्र0मी0	प्रति सै0 बल्ब	4500	1082.00	48690.00
12	जल एवं मृदा संरक्षण कार्य:- प्रति है0/सं0	सं0	88	L5	1012000.00
योग प्रथम चरण-					2280110.00
द्वितीय वर्ष-					
1	गड्ढा भरान कार्य(0.30x0.30x0.45)	प्रति गड्ढा	10000	2.35	23500.00
2	कंटूर फरो में बीज बुआई(प्रति है0)	प्रति फर	1000	10.00	10000.00
3	पौधों का रख रखाव(द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	10000	4.14	41400.00
4	पौध दुलान वाहन से 30.00 कि0मी0 दूरी से	प्र0सै0पौ0	10000	357.50	35750.00
5	पौध दुलान सिरबोड	प्र0सै0पौ0	10000	260.00	26000.00
6	पौध रोपण थावला बन्दी	प्रति पौध	10000	4.42	44200.00
7	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	10000	10.81	108100.00
8	खाद व दवा पर व्यय	प्रति पौध	10000	1.55	15500.00
9	देख रेख व रख रखाव रोपण वर्ष में 9 माह कम से कम 10 है0/-	प्रति माह 01 श्रमिक	9	9884.00	88956.00
10	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड के बाहर 5 मीटर की पट्टी साफ करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध दुलान हेतु टोकरी सुतली, बोरी आदि क्रय करना वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय करना वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डोक्यूमेंट्स	प्रति है0	10.00	1958.00	19580.00
योग द्वितीय चरण-					420856.00
कुल योग प्रथम व द्वितीय चरण-					2700966.00

-तृतीय वर्ष-

1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	निराई गुडाई व मलचिंग कार्य एवं बर्मिकुलाइट, पैरालाइट, फार्मयार्ड, बर्मिकम्पोस्ट की कीमत	प्रति पौध	10000	6.76	67600.00
क्षतिपूरक रोपण बीटिंग अप					
	पौध की कीमत	प्रति पौध	10000	30.89	308900.00
	पौध का दुलान	प्रति पौध	10000	13.67	136700.00
ii	गड्ढा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भरण एवं थावलाबन्दी कर रोपण करना	प्रति पौध	10000	19.77	197700.00
3	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग तृतीय चरण-				-	837378.00

-चतुर्थ वर्ष-

1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
3	निराई गुडाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	10000	6.76	67600.00
योग चतुर्थ चरण-				-	194078.00

-पंचम वर्ष-

1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग पंचम चरण-				-	126478.00

-छठा वर्ष-

1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग छठा चरण-				-	126478.00

-सप्तम वर्ष-

1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग सप्तम चरण-				-	126478.00

-अष्टम वर्ष-

1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठा वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग अष्टम चरण-				-	126478.00

-नवम वर्ष-

1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग नवम चरण-				-	126478.00

-दशम वर्ष-

1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	9884.00	118608.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	10.00	787.00	7870.00
योग दशम चरण-				-	126478.00
				कुल योग-	4491290.00
				या-	4487910.00

प्रावकलन तैयार कर महोदय की सेवा में प्रेषित।

(Handwritten Signature)

प्रतिहस्ताभारित
उप प्रभागीय पनाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

(Handwritten Signature)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

(Handwritten Signature)
(विरेंद्र दत्त जोशी)
उप राजिक

कलन बावत जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 07 (स्पर) के भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश
 गी 0.000 से कि०मी० 19.700 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु 39.6690 है० वन भूमि का गैर
 वाणिजी कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण के फलस्वरूप 5.00 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण कार्य करना-

क्षतिपूरक वृक्षारोपण क्षेत्र का नाम- ग्राम द्वारा

प्रस्तावित वृक्षारोपण का क्षेत्रफल(है० गे)-5.00 है०

रोपित की जाने वाली पौधों की संख्या- 1000 पौध प्रति है०

रायपुर रेंज

मसूरी वन प्रभाग

वर्ष 2024-25.

क्र०	कार्य विवरण	ईकाई/सं०	मात्रा	ईकाई दर	घनराशि
1	सारे सीमांकन	प्रति है०	5.00	238.00	1190.00
2	क्षेत्र की राफगई(लेन्टाना झाड़ी कटान आदि)	प्रति है०	5.00	6260.00	31300.00
3	अधिम दियार बन्दी(फेन्सिंग) प्रति है० 94.50 घ०मी० औसत/तारबाड़	प्रति घ०मी० है०	5.00	64354.00	321770.00
4	कट्टर फरो का संरक्षण कार्य	प्रति फर	500	1.37	685.00
5	कट्टर फर कार्य(प्रति है० 300 र.गौ.) का खुदान	प्रति फर	500	132.00	66000.00
6	गड्डा का संरक्षण एवं चिन्हीकरण चूने की कीमत सहित	प्रति गड्डा	5000	0.70	3500.00
7	अधिम मृदा कार्य(0.30x0.30x0.45) गड्डा खुदान	प्रति गड्डा	5000	13.00	65000.00
8	निरीक्षण बटिया बनाना	प्रति है०	5.00	1261.00	6305.00
9	पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष)	प्रति पौध	5000	21.64	108200.00
10	अन्य व्यय जैसे यन्त्र सयन्त्र औजार तेज करना	प्रति है०	5.00	1152.00	5760.00
11	वृक्षारोपण क्षेत्र की सम्पूर्ण परिधि में जैविक घेरवाड़ कार्य तीन बल्ब प्र०मी०	प्रति सै० बल्ब	2250	1082.00	24345.00
12	जल एवं मृदा संरक्षण कार्य:- प्रति है०/स०	सं०	44	L.S	505000.00
योग प्रथम चरण-					1139055.00
द्वितीय वर्ष-					
1	गड्डा भरान कार्य(0.30x0.30x0.45)	प्रति गड्डा	5000	2.35	11750.00
2	कट्टर फरो में बीज बुआई(प्रति है०)	प्रति फर	500	10.00	5000.00
3	पौधों का रख रखाव(द्वितीय वर्ष)	प्रति पौध	5000	4.14	20700.00
4	पौध डुलान वाहन से 30.00 कि०मी० दूरी से	प्र०सै०पौ०	5000	357.50	17875.00
5	पौध डुलान सिरबोड़ा	प्र०सै०पौ०	5000	260.00	13000.00
6	पौध रोपण थावला बन्दी	प्रति पौध	5000	4.42	22100.00
7	निराई गुड़ाई व मलचिंग(दो बार)	प्रति पौध	5000	10.81	54050.00
8	खाद व दवा पर व्यय	प्रति पौध	5000	1.55	7750.00
9	देख रेख व रख रखाव रोपण वर्ष में 9 माह कम.से कम 10 है०/-	प्रति माह 01 श्रमिक	9	4942.00	44478.00
10	सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 5 मीटर की पट्टी साफ करना	प्रति है०	5.00	787.00	3935.00
11	अन्य व्यय साईन बोर्ड पौध डुलान हेतु टोकरी सुतली, बोरी आदि क्रय करना वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय करना वर्ष में दो-तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डोव्यूमेन्स	प्रति है०	5.00	1958.00	9790.00
योग द्वितीय चरण-					210428.00
कुल योग प्रथम व द्वितीय चरण-					1349483.00

--तृतीय वर्ष--					
1	एक वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
	निराई मुखाई व मलचिग कार्य एवं धर्मकुलाइट, पैरालाइट, फार्मगार्ड, मिक्चोरट की कीमत	प्रति पौघ	5000	6.76	33800.00
	प्रतिपूरक रोपण बीटिंग अप				
	पौघ की कीमत	प्रति पौघ	5000	30.89	154450.00
	पौघ का बुलान	प्रति पौघ	5000	13.67	68350.00
	गड़गा खोदना, कीटनाशक मिलाकर भराम एव धावलाबन्दी कर रोपण करना	प्रति पौघ	5000	19.77	98850.00
	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
	योग तृतीय चरण--	-	-	-	418689.00
--चतुर्थ वर्ष--					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
3	निराई मुखाई व मलचिग(दो बार)	प्रति पौघ	5000	6.76	33800.00
	योग चतुर्थ चरण--	-	-	-	97039.00
--पंचम वर्ष--					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
	योग पंचम चरण--	-	-	-	63239.00
--छठा वर्ष--					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
	योग छठा चरण--	-	-	-	63239.00
--सप्तम वर्ष--					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
	योग सप्तम चरण--	-	-	-	63239.00
--अष्टम वर्ष--					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त छठा वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
	योग अष्टम चरण--	-	-	-	63239.00
--नवम वर्ष--					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
	योग नवम चरण--	-	-	-	63239.00
--दशम वर्ष--					
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रख रखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह(कम से कम 10 है0 आधार मानकर)	प्रति माह 01 श्रमिक	12	4942.00	59304.00
2	अग्नि सुरक्षा कार्य करना	प्रति है0	5.00	787.00	3935.00
	योग दशम चरण--	-	-	-	63239.00
				कुल योग--	2244645.00
				या--	2243955.00

प्राक्कलन तैयार कर महोदय को रोवा में प्रेषित।

(Handwritten Signature)

प्रतिहस्ताक्षरित
उप प्रभागीय पंचाधिकारी
देहरादून मसूरी वन प्रभाग
मसूरी

(Handwritten Signature)
वन क्षेत्राधिकारी
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

(Handwritten Signature)
(विरेन्द्र दत्त जोशी)
उप राजिक

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (स्पर) भानियावाला-जौलीग्रान्ट-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से 20.600 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण द्वारा ग्राम के खसरा 2092क, 2091, 909, 614 एवं 607 में 10.0000 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित।

Digitized Earth File
File Size: 1.5Kb Date: 15/08/2022



(Signature)
 (आयोजना
 मन्त्रालय)
 सयपुर रोज


Project Director
 National Highways Authority of India
 Ministry of Road Transport & Highways

(Signature)

उप प्रभारक्षेत्र अधिकारी
 (देहरादून)
 मसुरी वन प्रभाग, मसुरी

(Handwritten mark)

उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग-07 (स्पर) भानियावाला-जौलीग्राम तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण द्वारा ग्राम के खसरा 614 एवं 607 म तक क्षतिपूरक वृक्षारोपण प्रस्तावित।



(निदेशिका)
322

वन-निदेशिका
रायपुर रेंज
मसूरी वन प्रभाग

परियोजना निदेशक / Project Director
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
National Highways Authority of India
(राज्य, परिवहन राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)
Ministry of Road Transport & Highways
पं० आर्जे० ए०-वमन पिल्लर, देहरादून

(Handwritten signature)
उप प्रभागीय वनाधिकारी
(देहरादून)
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी

DSS Report

The screenshot displays the GIS-based Decision Support System (DSS) interface. At the top, the title bar reads "GIS based Decision Support System". The main window shows a map of Uttarakhand, India, with a legend on the left and a toolbar at the top. The legend includes categories like "FOREST COVER MAP" and "FOREST COVER". The toolbar contains various icons for map navigation and analysis. A menu bar at the top lists options such as "Load Polygon", "Select Polygon", "Decision Rule 1", "Get Land Forest Cover", "MS Application", "Get Time Series", "Get Result Table", "ER Result", "J Result", "DSS Result", "FCM Without Grid Result", "FM Without Grid Result", "ER Without Grid Result", and "Save Result Table".


 Project Director
 National Highways Authority of India
 (Ministry of Road Transport & Highways)
 Government of India, New Delhi



 Director
 Uttarakhand State
 Uttarakhand




 (रंजित)
 नसी वन प्रभाग, नसी

MAP SHOWING SURVEY OF INDIA TOPOSHEET MAP OF COMPENSATORY
Project Name :- Up-gradation & 4-laning of Bhaniyawala - Rishikesh Road (Spur) of NH-7 from km 0.000 to km 20.600...

Proposal No.: FP/UK/ROAD/146663/2021



Total CA Land Area - 40.0 Ha.

Legend


- CA Land under Survey / Project Director
- National Highways Authority of India Proposed CA Land

PART OF SOI TOPOSHEET NO.: 53/3

भारतीय सर्वेक्षण विभाग / Project Director
 National Highways Authority of India
 Proposed CA Land
 Ministry of Road Transport & Highways

CA LAND COORDINATES (10.0 ha)		
S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 19' 4.814" N	78° 9' 25.890" E
2	30° 19' 1.815" N	78° 9' 27.033" E
3	30° 18' 58.885" N	78° 9' 27.321" E
4	30° 18' 57.149" N	78° 9' 25.299" E
5	30° 18' 51.666" N	78° 9' 29.344" E
6	30° 18' 46.884" N	78° 9' 28.741" E
7	30° 18' 46.928" N	78° 9' 26.397" E
8	30° 18' 50.805" N	78° 9' 20.094" E
9	30° 18' 53.066" N	78° 9' 19.094" E
10	30° 18' 57.500" N	78° 9' 19.198" E
11	30° 19' 2.391" N	78° 9' 21.257" E

CA LAND COORDINATES (5.0 ha)		
S.No.	Latitude	Longitude
1	30° 19' 30.565" N	78° 8' 14.457" E
2	30° 19' 32.594" N	78° 8' 16.944" E
3	30° 19' 31.696" N	78° 8' 19.511" E
4	30° 19' 32.773" N	78° 8' 21.821" E
5	30° 19' 28.294" N	78° 8' 27.731" E
6	30° 19' 26.344" N	78° 8' 27.758" E
7	30° 19' 24.103" N	78° 8' 24.403" E
8	30° 19' 28.131" N	78° 8' 17.198" E



सिप प्रमोरीयिनाधिकारी (वेहरातु)
 मसरी वनप्रभाग, मसरी
 MALKOT RESERVED FOREST
 PALED RESERVED FOREST
 TALAI R.F.
 KACHAR R.F.
 SAURA R.F.
 SONG RIVER
 DWARDWARA RESE

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport & Highways, Govt. of India)

परियोजना कार्यान्वयन इकाई-वसन्त विहार। Project Implementation Unit-Vasant Vihar

भकान सं० 171, फेज-1, वसन्त विहार, देहरादून - 248006 House no.171, Phase-1, Vasant Vihar, Dehradun - 248006

दूरभाष/Phone: 0135-2760001 ई-मेल/E-mail: piuvasantvihar@nhai.org वेब/Web: www.nhai.gov.in

NHAI/PIU/VV/2023/ Bh-Rks & Jh-Ash/Forest/ 6882

Dt.28.06.2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

मसूरी वन प्रभाग

जनपद - देहरादून (उत्तराखण्ड)

विषय: (i) उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-07 (रपर) के भानियावाला - जौलीग्रान्ठ-ऋषिकेश कि०मी० 0.000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण विषयक।
(ii) उत्तराखण्ड राज्य में रा०रा०-72 (झाझरा के पास) को दिल्ली - देहरादून एक्सप्रेसवे (आशारोड़ी सेक्शन के पास) से जोड़ने वाले चार लेन ग्रीनफील्ड रोड का विकास कि०मी० 0.050 से कि०मी० 12.220 तक निर्माण के सम्बन्ध में
- ऑनलाईन वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव संख्यां FP/UK/ROAD/146663/2021 एवं FP/UK/ROAD/140350/2021 के संबंध में गैर वाणिकी भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने के संबंध में।

संदर्भ: प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून कार्यालय पत्रांक 7375 दिनांक 27.06.2024 एवं 7376 दिनांक 27.06.2024


महोदय,

उपरोक्त विषयक कृपया प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून के कार्यालय पत्रांक 7375 दिनांक 27.06.2024 एवं 7376 दिनांक 27.06.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके माध्यम से संदर्भित परियोजनाओं भानियावाला-ऋषिकेश एवं झाझरा-आशारोड़ी हेतु परिवेश पोर्टल पर अपलोड किये गये वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों के संबंध में प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा छमरोली गांव में लगभग 25.4000 हेक्टेयर, द्वारा गांव में लगभग 15.8790 हेक्टेयर तथा मकडेती गांव में लगभग 14.6350 हेक्टेयर हस्तान्तरित की गयी भूमि की के०एम०एल० फाईल, क्षतिपूरक वनीकरण का स्थल प्रावकलन सहित एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी से हस्ताक्षर सहित तैयार कर उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध किया गया है।

2. इस संबंध में अवगत कराना है कि उक्त ग्राम छमरोली, द्वारा एवं मकडेती आपके कार्यक्षेत्र अन्तर्गत आते हैं। अतः आपसे अनुरोध है कि जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु छमरोली गांव में लगभग 25.4000 हेक्टेयर, द्वारा गांव में लगभग 15.8790 हेक्टेयर तथा मकडेती गांव में लगभग 14.6350 हेक्टेयर हस्तान्तरित की गयी भूमि की के०एम०एल० फाईल, क्षतिपूरक वनीकरण का स्थल प्रावकलन सहित एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र हस्ताक्षर सहित इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि तदानुसार संदर्भित परियोजनाओं भानियावाला-ऋषिकेश एवं झाझरा-आशारोड़ी अन्तर्गत वन भूमि हस्तान्तरण हेतु संबंधित अभिलेख परिवेश पोर्टल पर अपलोड किया जा सके।

संलग्नक: उपरोक्तानुसार।

भवदीय



(शालू चौहान)

प्रबन्धक (तक०)

कृते परियोजना निदेशक

प०का०ई०-वसन्त विहार (देहरादून)

प्रतिलिपि: टीम लीडर, मै० योंगा इन्जी० कं० प्रा० लि० - को इस आशय से प्रेषित कि प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून के पत्रों के बिन्दु सं० 1 के संबंध में संबंधित वन विभाग से समन्वय स्थापित कर आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें एवं बिन्दु सं० 2 के संबंध में विषयांकित परियोजना हेतु हस्तान्तरित वनीकरण स्थलों की डी०एस०एस० कराकर मानचित्रों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

कार्यालय, प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक : 7375/12-1

देहरादून,

दिनांक

जून, 2024

श्री गे,

महाप्रबन्धक (तकत)

राष्ट्र परिशोधना निदेशक,

फा0का0ई0-वसन्त विहार (देहरादून)।

विषय- उत्तराखण्ड राज्य के जंगल देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के भागियावाला-जौलीग्रान्ट-त्रयिकेश
कि०मी० 0000 से कि०मी० 19.780 तक के चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण प्रियमक-आनलाईन वन भूमि
हस्तांतरण प्रस्ताव संख्या-FP/UK/ROAD/146663/2021 के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संबंधित पत्र के द्वारा उच्च स्तर से लगायी गयी कगियों का निराकरण की अपूर्ण सूचना इस

कार्यालय को प्रेषित की गयी है। इसलिए आप निम्न बिंदुओं की सूचना तैयार कर प्रस्ताव को ऑफलाईन/ऑनलाईन इस
कार्यालय को प्रेषित करें:-

1. क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा छमरोली गांव में लगभग 25.400 है० द्वारा गांव लगभग 13
8720 है० तथा मकड़ोली गांव में लगभग 14.6350 है० वन भूमि चयनित की गयी है। क्षतिपूर्क वनीकरण हेतु
चयनित स्थलों की के०एम०एल० फाईल, क्षतिपूर्क वनीकरण का स्थल प्रावकलन सहित एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र
सम्बन्धित प्रबन्धक वनाधिकारी से हस्ताक्षर सहित तैयार कर ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर इस कार्यालय को
शीघ्र उपलब्ध कराये।
2. चयनित वनीकरण स्थलों की डी०एस०एस० कराकर मानचित्रों को ऑफलाईन/ऑनलाईन पोर्टल पर अपलोड कर
संघ इस कार्यालय को उपलब्ध कराये।

अतः उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों पर निराकरण कर शीघ्र सूचना इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट
करें। आपके द्वारा प्रेषित अपूर्ण अपलोड किये गये सूचना के कारण प्रस्ताव आपको आनलाईन वापस किये जा रहे हैं।

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

पत्रांक:-

/12-1

तददिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय वनाधिकारी, मसूरी को इस आशय से प्रेषित की उचित प्रकरण में जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा
आपका क्षतिपूर्क वृक्षारोपण हेतु सिविल सोयम भूमि आवंटित की गयी है। इसलिए आप वर्णित क्षेत्रों की के०एम०एल०
फाईल एवं क्षतिपूर्क वनीकरण का स्थल प्रावकलन सहित एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शीघ्र कार्यवाही संस्था को उपलब्ध
कराने का कष्ट करें।

प्रभागीय वनाधिकारी,
देहरादून वन प्रभाग, देहरादून।

6

SITE INSPECTION REPORT NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1- A proposal has been received by this office from-परियोजना निदेशक भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पी०आर्डी०एच० बसन्त विहार देहरादून (under FCA -1980) of- 19.8345 of forest land for non-forestry purpose. The projects envisage the use of forest land for उत्तराखण्ड राज्य के जनपद देहरादून में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-7 के भानियावाला (देहरादून) से ऋषिकेश रोड़ (स्पर) के डिजाईन कि०मी० 0.000 से कि०मी० 20.600 तक मौजूदा सड़क को चार लेन चौड़ीकरण एवं सुदृढीकरण हेतु।

The site inspection of the land involved in the proposal has done by me on dated : 18.03.2023

5.2- On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a Reserve forest- 19.8345 ha.

5.3- The requirement of forest land as proposed by the user agency in col.-2 part- 1 is unavoidable and is barest minimum required for the project. (✓)

5.4- Whether any rare / endangered / unique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of.- NIII

5.5- Whether any protected archaeological / heritage site / defense establishment or any other important monuments is located in the area, if, so the details there of with NOC from competent authority, if required.- NIII

The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation), Act 1980 and no work has been started without proper sanction.- (x)

(a) It has been found that the user agency has violated the forest (Conservation), Act, 1980 provisions. A detail report as per para 1.9 of chapter 1, Para C of Handbook of forest (Conservation) Act, 1980 is attached.- (✓)

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal Project is recommended for acceptance. Recommended in public interest.

Place:- Dehradun
Date:- 18.03.2023 .

Name-Nitish Mani Tripathi

Designation-DCF.O.

देहरादून प्रभाग

देहरादून